www.dhyeyaias.com

सितम्बर 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 तीस्ता नदी जल-विवाद
भारत-बांग्लादेश संबंध

2 कोविड–19 महामारी के दौरान लॉकडाउन का भयावह प्रभाव

3 नियम आधारित राजकोषीय नीति : भारत के लिए कितना आवश्यक

4 भारतीय खाद्य सुरक्षा और इसका प्रभाव

5 आरटीआई (RTI) : लोकतंत्र का प्रभावी और कुशल हथियार

6 लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

7 भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव : समय की मांग

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

सितम्बर 2020 | अंक 02

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- तीस्ता नदी जल-विवाद: भारत-बांग्लादेश संबंध
- कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन का भयावह प्रभाव
- नियम आधारित राजकोषीय नीति: भारत के लिए कितना आवश्यक
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और इसका प्रभाव
- आरटीआई (RTI) : लोकतंत्र का प्रभावी और कुशल हथियार
- लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
- भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव : समय की मांग

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–30

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 32

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 33

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 तीस्ता नदी जल-विवाद : भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा का कारण

- तीस्ता नदी पर एक 'व्यापक प्रबंधन और पुनरूद्धार परियोजना' (comprehensive management and restoration project) के लिए बांग्लादेश, चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण पर चर्चा कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और ग्रीष्मकाल में जल संकट से निपटना है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी में पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के साथ बांग्लादेश की चर्चा ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में गतिरोध चरम पर है।

तीस्ता नदी

- भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 50 से अधिक नदियां बहती हैं, उनमें से एक तीस्ता नदी है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 315 किमी है और यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है।
- तीस्ता नदी के उद्‌गम को लेकर एकमत का अभाव है। कुछ स्रोत इस नदी का उद्‌गम समुद्र तट से 7068 मीटर की ऊँचाई पर स्थित सिक्किम हिमालयी क्षेत्र के पाहुनरी ग्लेशियर को मानते हैं जबकि कुछ लोग 'त्सो ल्हामो झील' (Tso Lhamo Lake) को इसका उद्‌गम मानते हैं।
- यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश की जमुना (ब्रह्मपुत्र) में मिल जाती है। यह भारत के सिक्किम राज्य एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा भी बनाती है।
- गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बाद तीस्ता भारत व बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश का करीब 14 प्रतिशत इलाका सिंचाई के लिए इसी नदी के पानी पर निर्भर है और बांग्लादेश की 7.3 प्रतिशत आबादी को इस नदी के माध्यम प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

तीस्ता नदी जल विवाद

- 1971 के बाद (बांग्लादेश के निर्माण के बाद) तीस्ता जल को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच एक तदर्थ समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 36 प्रतिशत और भारत को 39 प्रतिशत पानी के उपयोग का अधिकार दिया गया तथा 25 प्रतिशत जल का आवंटन नहीं किया गया।
- 1996 में गंगा समझौते के बाद दूसरी नदियों के अध्ययन के लिए भी एक साझा समिति गठित की गई। इस समीति ने तीस्ता के लिए एक प्रारूप पेश किया जिसे दोनों देशों ने सहमति भी दे दिया था लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी। गौरतलब है कि बांग्लादेश, भारत से गंगा जल समझौता (1996) की तर्ज पर तीस्ता जल के उचित और समान वितरण करने की माँग कर रहा है।
- 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ढ़ाका दौरे पर गये और तीस्ता के जल के बंटवारे को लेकर एक नये फार्मूले पर सहमति भी बनी लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध की वजह से इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सका था। वर्ष 2011 में ममता बनर्जी ने राज्य की तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, किन्तु केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव से इतर अपना अलग प्रस्ताव बनाया। इस स्थिति ने केंद्र व राज्य सरकार के बीच आगे चलकर संघर्ष को बढ़ा दिया।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को अपने भेजे गये प्रस्ताव में 42.5 प्रतिशत पानी और 37.5 प्रतिशत पानी बांग्लादेश को दिये जाने का प्रस्ताव दिया था तथा 20 प्रतिशत जल का बंटवारा नहीं किया गया था। दूसरी तरफ बांग्लादेश का यह मानना रहा है कि जल का बंटवारा आधा-आधा होना चाहिए, अर्थात जो भी जल हो उसे 50-50 प्रतिशत बांट दिया जाना चाहिए।
- पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि वर्षा के मौसम के बाद इसमें पानी बहुत कम हो जाता है। इस कम पानी की स्थिति में जल का बँटवारा पश्चिम बंगाल को नुकसान पहुंचा सकता है।
- बांग्लादेश का कहना है कि भारत द्वारा तीस्ता पर बांधों के निर्माण ने जल प्रवाह को बाधित किया है और बहुत कम जल बांग्लादेश को मिल पाता है।
- वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढ़ाका के दौरे पर गये और एक नया प्रस्ताव रखा गया लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इस प्रकार तीस्ता नदी के जल को लेकर अभी तक कोई पूर्ण समझौता नहीं हो पाया है।

हालिया परिदृश्य में भारत बांग्लादेश संबंध

- वर्ष 2008 से नई दिल्ली का ढाका के साथ एक मजबूत संबंध रहा है, जानकारों का मानना है कि जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में आई है तब से दोनों

देशों के बीच संबंध और मधुर हुए हैं। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने सुरक्षा संबंधों से लाभ हुआ है, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई से भारत सरकार को पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बनाए रखने में मदद मिली है।

- बांग्लादेश को भारत से अपनी आर्थिक और विकास साझेदारी से लाभ हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है: 2018-19 में भारत का बांग्लादेश को निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर जबकि बांग्लादेश से भारत ने 1.04 बिलियन डॉलर का आयात किया ।
- भारत चिकित्सा उपचार, पर्यटन, काम और मनोरंजन आदि के लिए बांग्लादेश के नागरिकों को हर साल 15 से 20 लाख वीजा देता है। भारत के लिए बांग्लादेश पड़ोसी पहले (neighbourhood first) की नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है।
- पिछले पांच महीनों में भारत और बांग्लादेश ने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए आपस में सहयोग किया है। भारत ने बांग्लादेश को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है।

भारत-बांग्लादेश सम्बन्धों में चीन का पेंच

- तीस्ता नदी जल विवाद इस समय चीन की भूमिका को लेकर चर्चा में है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में भारत की चीन के साथ लद्दाख में मुठभेड़ हुई है और दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति समझौते को लेकर अभी भी कोई आम सहमति नहीं बन पायी है अर्थात गतिरोध व्याप्त है। ऐसे समय में चीन द्वारा बांग्लादेश को भारी मात्रा में ऋण प्रदान करने संबंधी वार्ताएं भारत के लिए चिंता का विषय है।
- बांग्लादेश की इस परियोजना का उद्देश्य तीस्ता नदी बेसिन का कुशल प्रबंधन करना है, जिससे ग्रीष्मकाल के शुष्क मौसम में उत्पन्न होने वाले जल अभाव को कम किया जा सके, बाढ़ एवं सिंचाई प्रबंधन किया जा सके। बांग्लादेश और चीन के बीच यह ऋण वार्ता भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है क्योंकि इस चीन भारत के पड़ोसियों को अपने पक्ष में करके भारत को नियंत्रित करना चाहता है।
- हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से आयातित 97 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य शुल्क की घोषणा की थी। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को 30 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है। भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं लेकिन चीन ने जिस तरह अपनी गतिविधियाँ तीव्र की हैं वह चिंताजनक हैं।

बांग्लादेश और चीन के बीच सम्बन्धों का विकास

- चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। 2019 में, दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। जानकारों का मानना है कि चीन और बांग्लादेश के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार अधिकांशतः चीन के पक्ष में झुका हुआ है। हाल ही में, चीन ने बांग्लादेश से 97% वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य घोषित किया है। कम विकसित देशों के लिए चीन ने कोटा-मुक्त कार्यक्रम (quota-free programme) के तहत बांग्लादेश को यह सुविधा प्रदान की है । चीन के इस कदम का बांग्लादेश में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है, और अपेक्षा की गयी है कि चीन को बांग्लादेश का निर्यात बढ़ेगा।
- भारत ने भी 10 बिलियन डॉलर की विकासात्मक सहायता प्रदान की है, जिससे बांग्लादेश को वैश्विक स्तर पर भारत की कुल 30 बिलियन डॉलर सहायता प्राप्त हुई है। चीन ने बांग्लादेश को लगभग 30 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है।
- इसके अतिरिक्त, चीन के साथ बांग्लादेश के मजबूत रक्षा संबंध स्थिति को जटिल बनाते हैं। वर्तमान में चीन बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी, जो चीनी हथियारों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, बांग्लादेश सेना में शामिल हो गए और इसी तरह उन्होंने चीनी हथियारों को प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप बांग्लादेश की सेना टैंक, मिसाइल लांचर, लड़ाकू विमान और कई हथियार प्रणालियों सहित चीनी हथियारों से लैस हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से दो मिग श्रेणी की पनडुब्बियां भी खरीदीं हैं। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में चीनी की पहुँच एवं लद्दाख गतिरोध के मद्देनजर भारत अपने सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

आगे की राह

- दोनों देशों के बीच मधुर सम्बन्धों को देखते हुए आवश्यक है कि नदी जल परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, और यह कि बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तीस्ता समझौता दोनों देशों के लिये एक अहम है। इससे मिलने वाले लाभ के जरिये भारत-बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. तीस्ता नदी जल विवाद क्या है ? यह भारत और बांग्लादेश के सम्बन्धों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ? समीक्षा कीजिये।

02 कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन का भयावह प्रभाव

चर्चा का कारण

- वर्तमान में COVID-19 महामारी ने विभिन्न वर्गों पर विभेदकारी प्रभाव डाले हैं अर्थात भिन्न-भिन्न वर्गों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित किया है और इसका प्रभाव भी सभी पर समान नहीं है।

पृष्ठभूमि

- आस्ट्रेलिया के आर्थिक इतिहासकार वाल्टर शिडेल ने अपनी पुस्तक 'द ग्रेट लेवलर' में तर्क दिया है कि मानव इतिहास में चार प्रकार की भयावह घटनाएँ हुई हैं जिनके कारण अधिक आर्थिक समानता आयी है।
- ये चार प्रकार की भयावह घटनाएँ निम्नलिखित हैं:
  - महामारी
  - क्रांति
  - युद्ध
  - देशों का पतन
- वर्तमान में दुनिया उपर्युक्त चार भयावह घटनाओं में से एक महामारी से गुजर रही है इस समय COVID-19 महामारी और इसकी वजह से लगाये गये लॉकडाउन ने सभी को प्रभावित किया है।
- वाल्टर शिडेल ने अपनी पुस्तक में विश्लेषण किया है कि महामारी से भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है अर्थात मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप श्रम की पूर्ति घट जाती है और श्रम की कीमत बढ़ जाती है। यह स्थिति समाज में आर्थिक असमानता (Economic Inegvality) में गिरावट लाती है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि COVID-19 महामारी के सम्बंध में वाल्टर शिडेल के द्वारा किये गये विश्लेषण की वैध्यता का आकलन इस महामारी के खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो इस महामारी ने सभी को कमोवेश रूप से प्रभावित किया है। इसे नियंत्रित करने हेतु लगाये गये लॉकडाउन ने भी लोगों के समक्ष आर्थिक कठिनाईयों को उत्पन्न किया है।

COVID -19 का कमजोर वर्ग पर प्रभाव

- विशेषज्ञों का कहना है कि COVID-19 महामारी का दुनिया के विभिन्न वर्ग पर पड़े प्रभावों के प्रारंभिक आकड़ों से ज्ञात होता है कि COVID-19 महामारी वर्ग तटस्थ (Class neutral) नहीं है अर्थात गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर इस बीमारी से प्रभवित होने की दर अधिक है।
- भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अलावा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर भी COVID-19 महामारी का अपेक्षाकृत अधिक असर पड़ा है।
- यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में प्राप्त प्रारंभिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ नस्लीय और नृजातीय अल्पसंख्यों (racial and ethnic minorities) पर COVID के कारण बेरोजगारी का संकट अधिक मंडरा रहा है।

भारत में विभिन्न जाति वर्गों पर COVID-19 का प्रभाव

- भारत में सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु विभिन्न चरणों में काफी कठोर लॉकडाउन लगाये हैं परन्तु भारत में लॉकडाउन ने काफी अधिक संख्या में लोगों के रोजगार छीन लिया है।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिसम्बर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच उच्च जातियों में रोजगार की दर 39% से घटकर 32% हो गयी है अर्थात 7 अंकों की गिरावट दर्ज की गयी।
- इस सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि इसी समयावधि अर्थात दिसम्बर 2019 से अप्रैल 2020 के बीच अनुसूचित जाति के संदर्भ में रोजगार की दर 44 % से घटकर 24% हो गयी अर्थात 20% की गिरावट दर्ज की गयी है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में रोजगार की दर 48 % से 33% हो गयी अर्थात 15 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई।
- हालाँकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में भी इस समयावधि में रोजगार की दर 40% से 26% हो गयी (14% अंको के गिरावट के साथ)।
- इस प्रकार देखा जा सकता है निम्न जातियों के लिए रोजगार में गिरावट उच्च जातियों के मुकाबले कहीं अधिक है।

महामारी के प्रभाव में शिक्षा की भूमिका

- हाल फिलहाल में हुए विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि COVID-19 महामारी के कारण लगाये गये लॉकडाउन से उन लोगों का रोजगार अधिक छिना है जो अपेक्षाकृत कम शिक्षित व असंगठित श्रम थे।
- अप्रैल 2020 में उन लोगों का रोजगार कम गया जिन्होंने 12 वर्ष या इससे अधिक शिक्षा पायी थी अर्थात इन लोगों में अपेक्षाकृत बेरोजगारी की दर कम थी।
- 2011-12 के इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के आँकड़े बताते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति के 51% ऐसे परिवार हैं जहाँ वयस्क महिलाएं अशिक्षित हैं, जबकि 27% ऐसे परिवार हैं जहाँ वयस्क पुरुष अशिक्षित हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति में रोजगार छिनने की सम्भावना कितनी अधिक है।
- वर्तमान में लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं हालाँकि विभिन्न स्कूल ऑनलाइन क्लास व टेस्ट आदि की सुविधा दे रहे हैं लेकिन ऐसे स्कूलों की संख्या गिनी-चुनी है। यही कारण है कि सभी बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की मुहीम को हानि पहुंची है।
- भारत में डिजिटल डिवाइस भारी संख्या में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है परन्तु वो बच्चें वंचित हो गये हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

महामारी के प्रभाव में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- गौरतलब है कि केवल 49% ही अनुसूचित जाति के परिवार का बैंक में खाता है जबकि उच्च जाति के 62% परिवारों के पास बैंक खाता है। इससे आर्थिक रूप कमजोर लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जैसे योजनाओं का लाभ उठाने में भी सक्षम नहीं हो पाए हैं।
- विभिन्न औद्योगिक समूह अपने यहाँ अब उत्पादन के लिए ऑटोमेटिक मशीनों या रोबोट को बढ़ावा दे रहे है इससे उन लोगों के रोजगार ज्यादा छिनी है जो कम कुशल श्रमिक थे।
- महामारी के कारण लगाये गये लॉकडाउन ने एक तरफ सम्पन्न फ्लिप कार्ड और अमेजन जैसी कंपनी को फायदा पहुंचाया है तो वहीं दूसरे तरफ वेंडर्स को इससे काफी नुकसान पहुंचा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में COVID-19 महामारी के आर्थिक दुष्परिणामों की गहरी पड़ताल की है।
- आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में गरीबों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है।
- आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मांग खत्म होने से बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से गैर जरूरी और आवश्यक सामान की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसके अतिरिक्त समाज में एक नयी तरह की असमानता उपजी है।
- व्हाइट कॉलर जॉब ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर घर से काम कर रहे हैं, जबकि मजदूरों व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को बाहर जाना पड़ रहा है। इससे इनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने खतरा बढ़ गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हालात तेजी से सामान्य करने के लिए मांग बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका रुख कोरोना के पहले से ही नीचे की तरफ था। मांग बढ़ाने में सरकार की भूमिका अहम होगी। सरकार की तरफ से खर्च बढ़ाना होगा, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग तेजी से बढ़ेगी।
- आरबीआई ने यह भी कहा कि कोरोना के बाद दुनिया सामान्य हो भी जायेगी तब भी वह पहले जैसी नहीं रहेगी।

निष्कर्ष

- यह सही है कि COVID-19 महामारी ने सभी पर अपना प्रभाव डाला है किन्तु सवेंदनशील वर्गों पर इसका अधिक प्रभाव है अतः सरकार को इन वर्गों की आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु उल्लेखनीय प्रयास करने चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. COVID-19 महामारी के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव की चर्चा के साथ-साथ यह भी बताएं कि इन्हें शिक्षा और प्रोद्योगिकी ने किस प्रकार विभेदनकारी बनाया है?

03 नियम आधारित राजकोषीय नीतिः भारत के लिए कितना आवश्यक

चर्चा का कारण

- वर्तमान में देश की राजकोषीय स्थिति चिंताजनक है। भारत सरकार को जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी कम प्राप्त हुआ है।
- हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केन्द्र एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण को लेकर मतभेद उभकर सामने आये हैं।
- कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को अधिक व्यय करना पड़ रहा है, जबकि आर्थिक गतिविधियों को शिथिल होने से अपेक्षानुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए कई विशेषज्ञों व संस्थाओं ने यह आशंका जतायी है कि देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) बढ़ सकता है, अतः इसे प्रबंधित करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद् (Fiscal council) को स्थापित किया जाना चाहिए।

परिचय

- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु न सिर्फ भारत ने बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन को समय-समय पर लगाया है और यह समय व परिस्थितियों के अनुसार अभी भी लगाया जा रहा है। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में भारत में कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत सरकार को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए बिना इसकी चिंता किये कि सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके।
- दूसरी तरफ भारत सरकार को यह डर है कि अधिक खर्च करने से सरकार पर कर्ज का बोझ और राजकोषीय घाटा अनियंत्रित रूप से बढ़ सकते हैं। इस स्थिति में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज, फिच आदि) भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग कम कर सकती हैं, इससे देश में निवेश भी कम आयेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश के कम आने से आर्थिक गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं और अर्थव्यवस्था सुस्ती (Slowdown) या फिर मंदी की स्थिति में जा सकती है।
- महामारी के प्रकोप के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और सरकार की राजकोषीय घाटा एवं अन्य चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु राजकोषीय परिषद के गठन की बात की जा रही है ताकि राजाकोषीय प्रबंधन को स्वतंत्र रूप से परिस्थितियों के मुताबिक प्रबंधित किया जा सके।

वर्तमान में राजकोषीय घाटा की स्थिति

- भारत में राजकोषीय स्थिति (Fiscal Situation) कोविड-19 महामारी के पहले से ही तनाव में थी, जबकि महामारी ने इसे और भी गंभीर बना दिया है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 4.6% (जीडीपी की तुलना में) अनुमानित किया था, यह सरकार के संशोधित अनुमान (Revised estimate) की तुलना में 0.8 प्रतिशत अधिक था।
- भारत ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान जीडीपी का 3.5% लगाया है। किन्तु आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण राजकोषीय घाटा 7% तक जा सकता है।
- यदि केन्द्र और राज्य के राजकोषीय घाटे को सम्मिलिति कर दिया जाये तो यह देश की जीडीपी का 12% तक जा सकता है।
- आर्थिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत का समग्र ऋण (Overall debt) जीडीपी के 85% तक पहुँच सकता है। यदि इसमें ऑफ बजट देनदारियों (Off Budget Liabilities) को शामिल कर लिया जाये तो स्थिति और भी भयावह दिखेगी।

राजकोषीय परिषद

- राजकोषीय परिषद, एक ऐसी स्थायी संस्था होती है जो सरकार की राजकोषीय योजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन या विश्लेषण करती है तथा अपने महत्वपूर्ण सुझावों को प्रस्तुत

करती है। राजकोषीय योजना के मूल्यांकन के तहत सरकार के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों, यथा- आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटा को कितना कम करना है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कितना लेकर जाना है इत्यादि, का विश्लेषण करना होता है।

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, राजकोषीय परिषद एक सार्वजनिक इकाई हो सकती है जिसमें गैर-निर्वाचित (non-eleated) पेशेवर (Professionals) हों तथा इस संस्था का कार्य सरकार के राजकोषीय निष्पादन (fiscal Performance) की स्वतंत्र तरीके से देख-रेख हो सकता है।
- ओईसीडी के अनुसार, जब राजकोषीय परिषद या संस्थान द्वारा स्वतंत्र तरीके से सरकार के राजकोषीय निष्पादन का वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ (Scientific- Objective) विश्लेषण किया जायेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आयेग।

भारत में राजकोषीय परिषद की माँग

- भारत में राजकोषीय परिषद की माँग काफी पुरानी है। तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात् राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया था। इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने भी इसी प्रकार के सुझाव को प्रस्तुत किया था।
- सन् 2017 में एन.के.सिंह की अध्यक्षता में गठित एफआरबीएम समीक्षा समिति ने भी राजकोषीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। इस समिति के मुताबिक, राजकोषीय परिषद एक स्वतंत्र निकाय होगी एवं किसी भी दिये गये वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व घोषणाओं की निगरानी करेगी।

राजकोषीय परिषद के उद्देश्य/कार्य

- राजकोषीय परिषद का उद्देश्य बहुवर्षीय राजकोषीय प्रक्षेपण (Multi-year fiscal projection) भी है। बहुवर्षीय राजकोषीय प्रक्षेपण का तात्पर्य यह है कि राजकोषीय परिषद को राजकोषीय प्रबंधन एवं इससे संबंधित अन्य बातों का आकलन करना होगा, जैसे कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी या फिर आगे आने वाले वर्षों में यह कैसे हो सकती है इत्यादि।
- इस संस्था द्वारा राजकोषीय स्थिरता (Fiscal Sustainability) का विश्लेषण तैयार किया जाता है। जब सरकार का राजस्व की प्राप्ति और खर्च संतुलन की अवस्था में हो और सरकार सुचारू रूप से चलती रहे (कोई भी वित्तीय संकट पैदा न हो) तो इसे राजकोषीय स्थिरता की स्थिति कहते हैं। ध्यातव्य है कि नब्बे के दशक में राजकोषीय स्थिरता को गंभीर रूप से तब नुकसान पहुँचा था जब भारत सरकार के समक्ष भुगतान संतुलन (बीओपी) का संकट खड़ा हो गया था।
- सरकार ने अपने तय लक्ष्यों के अनुरूप (यथा-एफआरबीम कानून के तहत) राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) के लक्ष्यों को प्राप्त कर पायी है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन राजकोषीय परिषद द्वारा किया जाता है। इसके लिए परिषद एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है।
- राजकोषीय परिषद यह भी देखती है कि सरकार राजकोषीय नियमों का पालन किस प्रकार से कर रही है।
- राजकोषीय आँकड़ों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसकी सिफारिश राजकोषीय परिषद द्वारा की जाती है।
- सरकार द्वारा बजट में की गयी घोषणाओं को भविष्य में कैसे आसानी से लागू किया जाये, इसके लिए राजकोषीय प्रबंधन में जरूरी संशोधनों का सुझाव परिषद द्वारा किया जाता है।
- राजकोषीय परिषद द्वारा वार्षिक राजकोषीय रणनीतिक रिपोर्ट (Annual Fiscal Strategy Report) भी तैयार की जाती है और उसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाता है ताकि राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता को स्थापित किया जा सके।

राजकोषीय परिषद के लाभ

- ओईसीडी के मुताबिक, जब राजकोषीय परिषद या संस्थान द्वारा स्वतंत्र तरीके से सरकार के राजकोषीय निष्पादन का वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ (Scientific and Objective) विश्लेषण किया जायेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आयेगा।
- सरकार द्वारा बजट में किये गये आवंटन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का राजकोषीय परिषद द्वारा वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जायेगा तो संसद में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में सार्थक बहस होगी।
- सरकार लोक-लुभावनाकारी योजनाओं से परहेज करने लगेगी, क्योंकि इनके दीर्घकालीन दुष्परिणामों को राजकोषीय परिषद विश्लेषित करके सार्वजनिक करेगी।
- लोगों में भी सरकार की राजकोषीय नीति के प्रति जागरूकता आयेगी।

विश्लेषण

- कुछ विशेषज्ञ यह भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तव में भारत में राजकोषीय परिषद के गठन की आवश्यकता है? जबकि इस परिषद के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भारत में विभिन्न कानून एवं संस्थाएँ कर रही हैं; जैसे कि एफआरबीएम कानून (2003) में सरकार के लिए आगे आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को कितना कम करना है, यह निर्धारित कर दिया गया है। यदि सरकार इन लक्ष्यों से विचलित होती है तो उसको इसका स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा।
- संसद में भारत सरकार को एक राजकोषीय नीति रणनीति स्टेटमेंट (Fiscal Policy Strategy Statement -FPSS) रखना होता है ताकि सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें और संसद में इसमें सार्थक बहस हो सके। जब उपर्युक्त कार्य पहले से ही संसद में किया जा रहा है तो इसके लिए एक नयी संस्था के निर्माण की औचित्यता पर कुछ विशेषज्ञ सवाल खड़ा कर रहे हैं।
- राजकोषीय परिषद का यह भी कार्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संदर्भ में समय-समय पर अनुमान व्यक्त किये जायें और वर्तमान वृद्धि दर का विश्लेषण किया जाये। लेकिन यह कार्य भारत में कई सरकारी एजेंसियाँ कर रही हैं, यथा-भारतीय रिजर्व बैंक, सीएसओ आदि। इसके अतिरिक्त

आईएमएफ, विश्व बैंक आदि भी ऐसे आँकड़ें प्रस्तुत करती हैं।

- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) भी सरकार की राजकोषीय नीतियों का विश्लेषण करता है और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करता है। कैग देखता है कि सरकार राजकोषीय नियमों का पालन कर रही है या नहीं।
- उपर्युक्त के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सही है कि राजकोषीय परिषद के कार्यों को भारत में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न रूपों में सम्पन्न किया जा रहा है लेकिन फिर भी यदि राजकोषीय परिषद की स्थापना की जायेगी तो राजकोषीय प्रबंधन और बेहतर ढंग से हो सकेगा।
- तेरहवें वित्त आयोग और एफआरबीएम कानून की समीक्षा समिति (एन.के.सिंह की अध्यक्षता में) सिफारिश दी थी कि वित्त मंत्रालय को एक समिति का गठन करना चाहिए जो राजकोषीय परिषद के रूप में कार्य करे। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि राजकोषीय परिषद को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जायेगा तो इसकी स्वतंत्रता बाधित होगी और हितों का टकराव (Conflict of Interest) उत्पन्न होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय बजट एवं अन्य राजकोषीय नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण करता है।

विदेशों में राजकोषीय परिषद

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आँकडों के मुताबिक, अभी पूरे विश्व में लगभग 50 ऐसे देश हैं जहाँ राजकोषीय परिषद किसी न किसी रूप में उपस्थित है। इन देशों में ऐसी परिषदों की सफलता की दर भी अलग-अलग है।
- बेल्जियम में फेडरल प्लानिंग ब्यूरों (Federal Planing Buereau) है।
- चिली में राजकोषीय परिषद हेतु दो स्वतंत्र संस्थान हैं।
- यूनाइटेड किंगडम में ऑफिस फॉर बजट रिस्पान्सिबिलिटी (Office for Budget Responsibility) है।

आगे की राह

- कोविड-19 महामारी ने अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इसके लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए ताकि राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके।
- विशेषज्ञों का कहना है कि एफआरबीएम कानून में ही संशोधन करके एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद स्थापित की जाये। इस परिषद को संसद द्वारा नियुक्त किया जाये और यह परिषद संसद को ही अपनी रिपोर्ट सौंपे। इसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- जब तक सरकार राजकोषीय परिषद को स्थापित नहीं कर पा रही है, उसके पहले कुछ और छोटे-छोटे कदम उठाये जा सकते हैं, यथा- जब सरकार बजट प्रस्तुत करे तो उसके तुरंत बाद कैग की देखरेख में एक कमेटी गठित की जा सकती है (जिसमें आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सीएसओ आदि का भी योगदान लेना चाहिए) यह कमेटी सरकार के बजटीय तथ्यों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर राजकोषीय नीति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. भारत में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करें।

04 भारतीय खाद्य सुरक्षा और इसका प्रभाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन (SOFI) रिपोर्ट, 2020 दिखाती है कि दुनिया "सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-2 (शून्य भूख)" को प्राप्त करने की राह से भटक गयी है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की कई एजेंसियों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी है। भारत में 2014 से 2019 के बीच भारत में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता 3.8 प्रतिशत बढ़ गई है।

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन (SOFI) रिपोर्ट

- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है:
  - खाद्य और कृषि संगठन।
  - कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष।
  - संयुक्त राष्ट्र बाल निधि।
  - विश्व खाद्य कार्यक्रम।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन।
- रिपोर्ट का उद्देश्य भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार की दिशा में हुई प्रगति का आंकलन करना है। साथ ही यह रिपोर्ट सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के संदर्भ में इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का गहराई से विश्लेषण भी करती है।
- 2017 से ही एसओएफआई द्वारा खाद्य असुरक्षा के दो प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया जा रहा है:
- **अल्पपोषण का प्रसार (POU):** यह कैलोरी की स्थायी कमी का सामना कर रही आबादी का अनुमान है। यह राष्ट्रीय खपत सर्वेक्षण और खाद्य बैलेंस शीट पर आधारित होता है। चूंकि अधिकांश देशों में खपत सर्वेक्षण नियमित रूप से नहीं किए जाते हैं, इसलिए अल्पपोषण से संबन्धित आंके पुराने होते हैं।
- **मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता (PMSFI):** यह वार्षिक सर्वेक्षणों पर आधारित है, जो खाद्य असुरक्षा (जैसे कि भोजन की कमी और संसाधनों की कमी के कारण आहार विविधता बदलना) के अनुभवों पर जानकारी एकत्र करते हैं।
- इसके PMSFI खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल (FIES) का उपयोग करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा विकसित खाद्य सुरक्षा माप का एक उच्च मानक है।
- खाद्य और कृषि संगठन किसी देश का FIES जानने के लिए एफएओ-जीडब्ल्यूपी (Gallup world poll) सर्वेक्षण आयोजित करता है। देशों द्वारा FIES के अनुमानों पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र रूप से अलग-अलग सर्वेक्षण भी किए जाते हैं।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- SOFI रिपोर्ट में भारत के अल्पपोषण के प्रसार (POU) के आकलन के लिए NSSO के उपभोग व्यय सर्वेक्षण (CES) के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, भारत एफएओ-जीडब्ल्यूपी अनुमानों को स्वीकार नहीं किया है और इसके प्रकाशन को रोका है।
- 2017-18 के लिए NSSO के उपभोग व्यय सर्वेक्षण (CES) के आंकड़े अभी भी प्रकाशित नहीं हुये हैं, इसलिए SOFI में भारत के लिए अल्पपोषण के प्रसार के वर्तमान अनुमान सटीक नहीं हैं।
- यह अल्पपोषण के प्रसार के आंकलन में सिर्फ प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता पर आपूर्ति-पक्ष डेटा के उपयोग पर आधारित है। लेकिन भारत में, यह विश्वसनीय नहीं है कि खाद्य भंडार की उच्च उपलब्धता के बावजूद, लोगों तक पहुंच और सामर्थ्य कम है।
- आधिकारिक FIES के अनुमानों की कमी और FAO-GWP को प्रकाशित न किए जाने से खाद्य असुरक्षा पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं।

भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति

SOFI रिपोर्ट के आंकडों के अनुसार भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति निम्नानुसार है:

- भारत में खाद्य असुरक्षा के वैश्विक बोझ के 22% के लिए जिम्मेदार है जो 2017-19 में किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। 2014 से 2019 की अवधि के दौरान भारत में पीएमएसएफआई में 3.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, जबकि शेष दक्षिण एशिया में यह 0.5 प्रतिशत अंक गिरावट हुयी है।
- इन अनुमानों से पता चलता है कि जहां भारत की 27.8% आबादी 2014-16 में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थी, वहीं 2017-19 में यह अनुपात बढ़कर 31.6% हो गया।

- देश के अन्न भण्डारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिये यथेष्ट अनाज सुरक्षित भण्डारों में भी मौजूद है। किन्तु गरीब लोग आर्थिक कमी के कारण पोषण-युक्त भोजन खरीद नहीं पाते और कुपोषण का शिकार होते हैं।
- खाद्य के साथ पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये समग्र प्रयास किए गए किन्तु भारत में गुणवत्तापूर्ण खाने के स्थान पर अधिक भोजन खाने को महत्त्व दिया जाता है। ऐसे में पोषण युक्त भोजन थाली तक नहीं पहुँच नहीं पाता है।
- दूध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि के कारण देश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में तो वृद्धि हुई है साथ ही मछली उत्पादन, पोल्ट्री मांस का उत्पादन, और अंडों का उत्पादन भी बढ़ा है किन्तु धार्मिक रुझानों एवं अन्य कारणों से अधिकांश आबादी प्रोटीन युक्त मांस का सेवन नहीं करती है, ऐसे में आबादी का बड़ा वर्ग पोषणयुक्त भोजन से दूर हो जाता है।

खाद्य असुरक्षा बढ़ने के कारण

SOFI रिपोर्ट के आंकडों के अनुसार खाद्य असुरक्षा में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं:

- कृषि क्षेत्र में गिरावट
- विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की कमी और आर्थिक मंदी।
- रोजगार के घटते अवसर जैसा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर 6.1% थी जो 4 दशकों में सबसे अधिक है।
- विमुद्रीकरण और जीएसटी सुधार लागू करने से उत्पन्न आर्थिक मंदी एक प्रमुख कारण रही।

कोविड -19 और खाद्य संकट

- इस वर्ष कोविड-19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और भोजन या पोषण की असुरक्षा के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होने की आशंका है। यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की 7.8 अरब आबादी को भोजन कराने के लिए पर्याप्त से अधिक खाना उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान में 82 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं और पांच वर्ष की आयु से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का भी विकास नहीं हो है। हमारी खाद्य व्यवस्था ढह रही है और कोविड-19 संकट ने हालात को बुरा बनाया है।

सुझाव

- श्रमिकों के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय लागू करते हुए भोजन और पोषण सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना होगा। साथ ही कमजोर समूहों के लिए महत्वपूर्ण मानवीय भोजन, आजीविका और पोषण सहायता सुनिश्चित करना होगा खाद्य-संकट वाले देशों में खाद्य-स्थिति मज़बूत कर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को पुनर्स्थापित करना और उन्हें आगे बढ़ाना अहम होगा।
- पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना होगा अर्थात सभी देशों को सभी इन्सानों तक सुरक्षित, पौष्टिक खाद्य पदार्थों की पहुँच सुनिश्चित करनी होगी-ख़ासतौर पर छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, वृद्धों और उन लोगों को, जिन्हें ज्यादा जोखिम है। ये लाभ पहुँचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अनुकूलित और विस्तारित करने की भी आवश्यकता होगी।
- भविष्य में निवेश किया जाना होगा। यह अधिक समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने का अवसर है। यानि ऐसी खाद्य प्रणालियों का निर्माण जिनके जरिये खाद्य उत्पादकों और श्रमिकों की ज़रूरतें बेहतर तरीक़े से पूरी की जा सकें तथा पर्यावरण और खाद्य प्रणालियों के बीच के सम्बन्धों को पुनर्सन्तुलित कर उनमें ऐसे बदलाव लाए जा सकें जिनसे प्रकृति के साथ बेहतर तारतम्य स्थापित हो।

आगे की राह

- COVID-19 महामारी के मद्देनजर अचानक लागू किए गए एक अभूतपूर्व और लंबे लॉकडाऊन ने भूख और खाद्य असुरक्षा की समस्याओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। आजीविका के संकट से भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा, भूख और भुखमरी का सामना कर रहा है। इसे देखते हुए आबादी के विभिन्न वर्गों की खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को हल करने के लिए विश्वसनीय डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। साथ ही एसडीजी-2, (शून्य भूख) के लक्ष्य की दिशा में प्रगति को पुन: प्राप्त करने के लिए इस डेटा पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

सामान्य अध्ययन पेपर-23

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. हाल ही में जारी सोफी (SOFI) रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया सतत विकास लक्ष्य (SDG-2) को प्राप्त करने में असफल रही है। असफलता के कारणों को उल्लेख करें।

05 आरटीआई (RTI): लोकतंत्र का प्रभावी और कुशल हथियार

संदर्भ

- फरवरी 2020 में असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तब से सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। इस उच्चस्तरीय समिति को असम समझौते के खंड 6 को लागू करने और असम के लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के उपायों से संबन्धित सिफारिशें करनी थी, किन्तु हाल ही में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को जनहित में देखते हुए सार्वजनिक कर दिया है।
- रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का कारण लोगों के जानने का अधिकार (Right to Know) बताया गया। जानने का अधिकार सूचना प्राप्त करने के अधिकार का आधार है। जिस तरह से भारत में सूचनाओं की मांग पर सरकार की निष्क्रियता दिखाई देती है ऐसे में जानने के अधिकार (Right to Know) को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो गया है।

जानने का अधिकार

- किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य होता है, जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम। क्योंकि किसी भी संवैधानिक सत्ता से समुचित सूचना पाने का जो अधिकार पहले सिर्फ जनप्रतिनिधियों के पास होता है। वही कमोबेश इस कानून के माध्यम से जनता में भी हस्तांतरित कर दिया गया है।
- यदि आम लोगों के द्वारा इसका सदुपयोग किया जाए तो सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार में काफी कमी आ सकती है। इससे विकास और सुशासन की अवधारणा परिपुष्ट होती है। लेकिन यदि इसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया जाए अथवा दुश्मन देशों से एकत्रित आंकड़े व जानकारियां साझा की जाने लगें तो किसी भी शासन द्वारा स्थापित व्यवस्था की स्वाभाविक गति भी अवरुद्ध हो सकती है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान किया गया जानने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिलने वाला मौलिक अधिकार भी है।
- यह नागरिकों का एक प्रभावी उपकरण है जो उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है ताकि लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक मूल्यों को मजबूती प्रदान की जा सके।

सूचना का अधिकार

- सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता को तय करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 2005 में लाया गया था।
- इसके तहत भारतीय नागरिक को जितने समय तक दस्तावेजों को सरकारी विभाग में रखने का प्रावधान है उतने वक्त तक की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित एवं अनुक्रमणिकाबद्ध रखने की बाध्यता करता है, ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सके।
- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा हो की राजभाषा में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है।
- सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। जहाँ जीवन अथवा स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हो, वहाँ यह 48 घंटे में सूचना प्रदान की जायेगी।
- आरटीआई अधिनियम के तहत खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारियाँ जिनसे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो विदेशी संबंधों आदि के संबंध में जानकारी नहीं हासिल की जा सकती है।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (official Secrets Act)

- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पहली बार 1923 में लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इसे बरकरार रखा गया है।
- यह कानून सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों पर लागू होता है।
- यह कानून जासूसी राष्ट्रद्रोह और देश की अखंडता के लिए अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

- कानून के तहत जासूसी करना, गुप्त जानकारी साझा करना, पद का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, निषिद्धध प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र प्रवेश आदि को दंडनीय अपराध माना गया है।
- इसके लिए दोषी व्यक्ति को 14 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

जानने का अधिकार बनाम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

- सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद से ही आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम एक विवादास्पद मुद्दा बन हुआ है।
- चूंकि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में गुप्त जानकारी को परिभाषित नहीं किया गया है। अकसर इस दुविधा का लाभ सार्वजनिक कर्मचारी आरटीआई अधिनियम के तहत पूछी गयी जानकारी को छिपाने के संदर्भ में करते हैं।
- हालांकि दो कानूनों के बीच संघर्ष के मामले में आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पर वरीयता दी गयी है।
- आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में कहा गया है कि इसके प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में उनके साथ असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे।
- आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक हित में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आने वाली जानकारी उजागर करने की अनुमति दे सकता है यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

महत्वपूर्ण वाद

1. उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण वाद (1975)

- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय कुछ दस्तावेजों को गोपनीय रखने की बात कही है, भले ही उनकी सामग्री राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक न हो।
- न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा कि भारत के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार है, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं।
- जानने का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा से ही आया है और यह निरपेक्ष नहीं है। फिर भी जानने के अधिकार को गोपनीयता के आधार पर दबाया नहीं जाना चाहिए।

2. यशवंत सिन्हा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2019)

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा संसद ने सरकार को गोपनीयता के आधार पर दस्तावेजों के प्रकाशन या उनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- यह भी न्यायमूर्ति केएम जोसेफ ने सूचना का अधिकार अधिनियमए 2005 की धारा 8 (2) का उल्लेख किया, जिसमे यह प्रावधान है कि कोई नागरिक किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हितए संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।
- इसलिए यह स्पष्ट है कि जानने के अधिकार को केवल सीमित परिस्थितियों में ही रोका जा सकता है जहां व्यापक सार्वजनिक हित नहीं है।

निष्कर्ष

- यदि सरकार के कामकाज में गोपनीयता बनी रहती है और सरकार की कार्यवाहियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो यह उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करेगा और अधिकार के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि उच्च स्तरीय समिति (HLc) की रिपोर्ट के प्रकटीकरण में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उलंघन नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का जो साहसिक और प्रगतिशील निर्णय लिया गया है वह जनहित में है।

सामान्य अध्ययन पेपर–3

Topic:

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्र. सरकार की कार्यवाहियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो यह उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करेगा और अधिकार के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। चर्चा कीजिये।

06 लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

- वर्तमान समय में अधिकांश विकसित देशों में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत नागरिक वोट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करते हैं और वो वोट देश के आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करते हैं।
- अन्य प्रणालियों से परे लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभ यह है कि यह समाज में सभी को एक समान बोलने का अधिकार देता है और धनवान कुलीन वर्गों के ऐसे समूहों की संभावना को कम कर सकता है जो जनता पर अत्याचार करते हैं। इसलिए लोकतंत्र शासन को जनता के कल्याण, विकास व सुविधा का प्रतीक माना जाता है। लोकतंत्र में शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, आदेशों के माध्यम से सर्वसाधारण का अधिक से अधिक मदद करने का प्रयास किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- लोकतंत्र वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा है जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष, बहु-पक्षीय, निश्चित अवधि के चुनाव शामिल हैं जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है।
- इसमें अधिकांश मतों से जीतने वाली एक प्रतियोगी पार्टी मतदाताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और सत्ताधारी दल कहलाती है और अन्य लोग अगले चुनाव तक विपक्ष की पार्टी में बने रहते हैं।
- पंरतु लोकतंत्र 21 वीं सदी में भी सार्वभौमिक बनने से बहुत दूर है क्योंकि इसका अपना जीवन इतिहास सौ साल से भी कम समय का है।
- जब लोकतंत्र का विकास हुआ तब लोकतंत्र के साथ-साथ इसमें व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, सभी नागरिकों की समानता, जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता, आदि पूंजीवाद के अदृश्य घटक शामिल हुए।
- लोकतंत्र में होने वाले चुनावों ने परिवर्तनशील सरकार को वरीयता दी, हालाँकि इसमें शासन को चुनौती देने के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी गयी। यह चुनौती केवल क्रांतियों के माध्यम से उत्पन्न हो सकती थी, जो भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध अनुबंधित थी न कि सुशासन के प्रति।
- संक्षेप में कह सकते हैं कि गैर-लोकतंत्रों की तुलना में लोकतंत्र औसत से अधिक समृद्ध हैं क्योंकि इसमें तानाशाही की संभावना कम होती है।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम

- इसका उपयोग वैश्विक रूप से 58 देशों में किया जाता है।
- "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" (सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय) प्रणाली सबसे प्राचीन है। राष्ट्रमंडल के देशों और अमेरिका में मतदान की यही सर्वसामान्य प्रणाली है।
- गौरतलब है कि भारत में लोकसभा एवं विधान सभाओं के चुनावों में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसे सरल बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वही शासन के लिए चुन लिया जाता है।
- हालांकि, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक बड़ा दोष यह है कि यह लोकतंत्र में वास्तविक बहुमत के नियम को निर्धारित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, 2014 के आम चुनावों में लोकसभा में एकमात्र सबसे बड़े दल ने लगभग 31% वोटों की हिस्सेदारी के साथ आधे से अधिक सीटें प्राप्त की थी, इसी प्रकार 2019 में भी सबसे बड़े दल को मात्र 40% वोटों की हिस्सेदारी प्राप्त हुई थी।
- विदित हो कि इस प्रणाली की आलोचना में तीन बातें कही जाती हैं।
- पहली यह कि इसके अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है, भले ही निर्वाचक मंडल के काफी बड़े समुदाय ने उसके विरुद्ध मत दिए हों। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्वाचित होने पर भी वह विरुद्ध मत रखने वाले बहुसंख्यक समुदाय का भी प्रतिनिधि बन जाता है।
- दूसरी बात यह है कि यह प्रणाली ब्रिटेन के समान द्विदलीय परंपरा के ही अनुकूल होती है किंतु उसमें दुर्बल और अल्पसंख्यक दलों का सफाया हो जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता।
- तीसरी बात यह है कि यह प्रणाली प्रायः मतदाताओं के ऐसे समुदायों को जिन्हें थोड़ा ही अधिक बहुमत प्राप्त है, सदन में बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में सहायक बन जाती है। संपूर्ण मतदान के अनुपात में किसी दल को मिलने वाले कुल मतों द्वारा उस दल के जितने सदस्य न्यायतः चुने जाने चाहिए उससे कहीं अधिक चुन लिए जा सकते हैं।

लोकतंत्र में बुनियादी संरचनात्मक दोष

- **अल्पावधिवाद:** अपने चुनावी चक्रों के कारण, लोकतंत्र में दीर्घकालिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और आमतौर पर अल्पकालिक नीति में ही रह जाते हैं। अतः योजनाओं में समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। वर्तमान में लोकतंत्र ऐसी प्रणाली बनती जा रही है जिसमें शासक और लोक सेवक दोनों मिलकर धन के संकेन्द्रण का प्रयास करते हैं, जिसके बदले में विकास बहुत कम होता है।
- **अभिजात वर्ग का कब्जा:** वर्तमान समय में चुनावों में अत्यधिक धन खर्च किये जाते हैं। अतः ऐसे लोगों की जीत की संभावना भी अधिक होती है जिनके पास धन-बल होता है।
- **विभाजन और संघर्ष:** प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव घातक या विनाशकारी सामाजिक विभाजन को बढ़ाते हैं तथा संघर्ष पैदा करते हैं। राजनीतिक दल एक-दूसरे से हमेशा असहयोग व संघर्ष की स्थिति में ही रहते है। जबकि राजनीतिक दलों का असहयोग, लोकतंत्र की असफलता को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय एकता और बंधुता के उद्देश्य की मजबूत भावना पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **मतदाता अनभिज्ञता:** नीतिगत प्रदर्शन के आधार पर नेताओं को चुनने और उनके बीच निर्णय लेने के लिए आम नागरिकों पर भरोसा करना आवश्यक है। परन्तु कुछ नागरिक,

नेतृत्व और नीति निर्माण के लिए लोकतंत्र प्रणाली की ही निंदा करते है, जो मतदाता की जड़ अज्ञानता और तर्कहीनता को दर्शाता है। ये मतदाता आम तौर पर उन नीतियों का पक्ष लेते हैं जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए या दीर्घकालिक परिणामों के लिए थोड़े विचार के साथ उनकी स्वयं की अधिकतम भलाई निहित हो।

- इसके अतिरिक्त नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के बारे में न सोचना एवं धन लेकर वोट देने की प्रथा भी उनकी अज्ञानता को दर्शाता है, जो कि लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- **विकृत आधुनिक लोकतंत्रः** आधुनिक लोकतंत्र में जिम्मेदार संस्थानों का दुरुपयोग और के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में विकृतियों को शामिल किया जाता है।
- इसके अलावा इसमें देशभक्ति या राष्ट्रवाद की माँगों का प्रतिकार करके सरकार के प्रति असंतोष या विरोध के माहौल का निर्माण, मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रवाह का नियंत्रण; नकली समाचार बनाने और प्रचार करने के लिए पेशेवर रूप से संगठित तंत्र की स्थापना, सांप्रदायिक राजनीति को संरक्षण देकर लोगों के समुदायों के बीच नफरत पैदा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही फर्जी आरोपों में जेल में बंद करना शामिल होता जा रहा है।

शक्ति का वैश्विक असंतुलन

- ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्तिगत फर्मों या लोगों के पास इतनी संपत्ति और आर्थिक शक्ति होती है कि वे पूरे समुदायों के भाग्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकें, तब लोकतंत्र प्रणाली असंतुलित हो जाती है।
- उदारवादी लोकतंत्र ने हमेशा इस धारणा का समर्थन किया है कि बाजार और सरकार परस्पर मजबूत सामंजस्य से काम करते हैं। लेकिन जिस तरह आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता एक साथ चलती है, उसी तरह आर्थिक उत्पीड़न और राजनीतिक उत्पीड़न भी एक साथ चलते हैं।
- अगर धन और राजनीतिक शक्ति का संकेद्रण एक देश या समाज का मामला होता तो इसे आसानी से विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था परन्तु यह अमेरिकी, चीन, रूस, भारत, ब्राजील, हंगरी, तुर्की और अन्य जगहों पर एक अधिक सामान्यीकृत, वैश्विक परिदृश्य जैसा प्रदर्शित हो रहा है।
- स्पष्ट रूप से, हम एक लोकतंत्र के शासन में ऐसे व्यवस्थित परिवर्तन को देख रहे हैं, जिसमें हमें उदार, समतावादी, भ्रातृत्वपूर्ण, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।

लोकतांत्रिक विकास की आवश्यकता

- जब लोकतंत्र सुचारू रूप से काम करता है, तो यह आर्थिक विकास और मौलिक स्वतंत्रता को इस तरह से वितरित करता है जैसा कोई अन्य प्रणाली नहीं कर सकती और जब यह विफल हो जाता है, तो यह निरंकुश तानाशाह को जन्म देता है। इसलिए लोकतंत्र को अनुकूलित बनाये रखना भी आवश्यक है अन्यथा यह उस समाज के लिए क्षयकारी होता है।
- इसके अलावा लोकतंत्र को स्वस्थ रखने हेतु राजनीतिक मायोपिया का उन्मूलन भी आवश्यक है, लेकिन इससे भी अधिक कट्टरपंथी सुधार का होना आवश्यक है।
- साथ ही हमें यह पहचानना होगा कि राजनेता और उन राजनेताओं द्वारा किए गए निर्णय मतदाता के प्रति जिम्मेदार होते हैं और यही कारण है कि लोकतंत्र में मतदान ही सब कुछ है।
- इसलिए एक समझदार व जागरूक मतदाता, जो दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर मतदान करने का निर्णय लेता है ना कि जाति और धर्म के आधार पर, शासन संरचना में एक विवर्तनिक बदलाव कर सकता है।

आगे की राह

- किसी भी सुधारों के लिए समय और परिपक्वता की जरूरत होती है। देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में बदलाव होने पर लोकतंत्र समय के साथ परिपक्व होते हैं और उसे बड़े बदलावों की जरूरत होती है।
- बढ़ती साक्षरता के साथ, मतदाताओं की जिम्मेदारी में प्रतिनिधि मंडल का होना और नीति निर्माण में विस्तारित भागीदारी वर्तमान समय की आवश्यकता है।
- यह लोकतंत्र के लिए या किसी भी अन्य प्रकार के शासन को विकसित करने का समय है, जो आधुनिक दुनिया के लिए बेहतर है। साथ ही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, जो दुनिया के पहले लिखित संविधान को लिखने के समय मौजूद नहीं था, के कारण भी अब प्रतिमान बदल रहा है जिस पर अमल करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्र. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' क्या है? यह लोकतंत्र को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक है? उल्लेख करें।

07 भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव : समय की मांग

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी ने भारत सहित पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप क्षति पहुँचायी है।
- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) की प्रथम तिमाही के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के आँकड़े जारी किये हैं।
- एनएसओ के आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 'ऋणात्मक 23.39% हो गयी है। यह अपने आप में भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर में बहुत बड़ी गिरावट है।

परिचय

- जीडीपी की वृद्धि दर में यह बड़ी गिरावट देश में विभिन्न चरणों में लगाये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देखने को मिली है।
- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया था जो अभी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरीके से जारी है।
- लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ लगभग ठप सी रही हैं और भारी संख्या में लोगों के रोजगार छिने हैं। इन सब परिस्थितियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकुचन की ओर ढकेल दिया है।
- हालाँकि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने हेतु भारत सरकार ने आर्थिक एवं स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में कई निर्णायक एवं सराहनीय कदम उठाये हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम 20 लाख करोड रुपयें का प्रोत्साहन पैकेज को उपलब्ध कराना है।
- गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 20 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज (Stimulus Package) का अनावरण किया था। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत की जीडीपी का लगभ 10% है तथा कोविड-19 महामारी में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी राहत योजनाओं में से एक है।
- यह पैकेज उन व्यवसायों एवं स्टार्टअप्स को बड़ी राहत प्रदान करेगा, जो वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह बाजार में तरलता और माँग को बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह पैकेज विशेष रूप से भारत के लगभग 60,000 उन स्टार्टअप्स को मदद करेगा जो इस समय गंभीर तरलता के संकट से जूझ रहे हैं। इससे भारत में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी।
- हालाँकि सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान उठाये गये कदम काफी साहसिक हैं, लेकिन फिर भी देश के विकास इंजन को पुनर्जीवित करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

दोतरफा रणनीति (Two- pronged Strategy)

- भारत को कोविड-19 महामारी के वर्तमान संकट को सफलतापूर्वक नेविगेट (Navigate) करने और उसके बाद दृढ़ता से उबरने हेतु दोतरफा रणनीति (Two- pronged Strategy) की आवश्यकता है-
- प्रथम, कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और रिकवरी (Recovery) हेतु रास्ता तैयार करना।
- दूसरा, भारत सरकार को वैश्विक व्यापार में उभरे नये अवसरों का फायदा उठाकर, देश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। गौरतलब है कि जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि जो भी जापानी कम्पनी चीन से भारत की ओर रूख करेगी, उसे जापान सरकार प्रोत्साहन (Incentive) देगी। इसके अतिरिक्त, क्वाड ग्रुप (भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान) हिन्द प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर बल दे रहा है।
- भारत सरकार को उपर्युक्त दोतरफा रणनीति के क्रियान्वयन में बिगर (Bigger) बोल्डर (Bolder) और फास्टर (Faster) निष्पादन पर ध्यान देना चाहिए।

चार प्रमुख स्तंभ

- भारत सरकार को महामारी से उबरने हेतु इन चार रणनीतिक स्तम्भों या पिलर पर कार्य करने की आवश्यकता है-
  - **बिग बिजनेस हाउस (Big Business Houses):** बड़ी कंपनियां देश की

जीडीपी को दिशा देने और भारी मात्रा में रोजगार सृजन में सहायक हैं।

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई):** एमएसएमई, भारत में मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भारत में रोजगार सृजन की रीढ़ हैं।
- **स्टार्टअप:** यह देश की अर्थव्यवस्था में नवीनता और परिवर्तन लाते हैं।
- **भारतीय डायस्पोरा:** विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय, भारत में न सिर्फ रेमिटेंस भेजते हैं बल्कि वे यहाँ निवेश भी ला सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- बड़ी व्यापारिक इकाईयों और एमएसएमई को सरकार द्वारा कर प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी सहायता, कच्चे माल एवं सेवाओं की उपलब्धता आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराकर, उन्हें फिर से पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति देनी चाहिए। हालाँकि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण से बचते हुए उत्पादन को बढ़ाया जा सके।
- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि तरलता प्रवाह को बढ़ाया जा सके। आरबीआई को बिजनेस ऋण के पुनर्गठन (Restructuring) हेतु सिंगल वन टाइम विंडो (Single One time window) पर विचार करना चाहिए।
- भारत सरकार को उन कम्पनियों के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाना चाहिए जो चीन से स्थानांतरित होकर किसी अन्य देश में अपनी विनिर्माण इकाईयाँ खोलना चाहती हैं।
- भारत को एक वैश्विक व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थापित करने हेतु बल प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए भारत से वैश्विक व्यापार संचालन करने वाली कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनानी चाहिए।
- सरकार को देश के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना चाहिए। इसके कई फायदे हो सकते हैं, यथा-
  - लॉजिस्टिक कीमत कम होगी।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आयेगा।
  - भारत का निर्यात सस्ता होगा।
  - बुनियादी ढाँचे पर खर्च करने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे माँग बढ़ेगी।

निष्कर्ष

- कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इसलिए इससे निपटने हेतु सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से क्षति पहुँचायी है। भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 वारली चित्रकला

1. चर्चा का कारण

- भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) द्वारा नोएडा स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों को हाल ही में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग से सजाया गया है।

2. वारली चित्रकला

- वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो की महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतो को प्रस्तुत करती है।
- वारली चित्रकारी के चित्र भीमबेटका की शैल गुफाओं के चित्रों के समान हैं।
- यह मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है।
- चित्रकारी का काम मुख्यी रूप से महिलाएं करती हैं। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों, अथवा देवी-देवताओं के रूपों को नहीं दर्शाया जाता बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया जाता है।
- इन चित्रों में मुख्यत: फसल पैदावार ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वारली जनजाति के सरल जीवन को भी दर्शाती है। वारली कलाओं के प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष और महिलाओं के साथ में नाचते हुए दर्शाए जाते हैं।

3. वारली जनजाति

- वारली (Warlis), महाराष्ट्र में रहने वाली एक देशी जनजाति है। वारली जनजाति पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर पहाड़ी एवं तटीय इलाकों में बसी है।
- भारत के इतने बड़े महानगर के इतने निकट बसे होने के बावजूद वारली के आदिवासियों पर आधुनिक शहरीकरण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 1970 के प्रारम्भ में पहली बार वारली कला के बारे में पता चला। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता कि इस कला का प्रारम्भ कब हुआ, लेकिन दसवीं सदी ई.पू. के आरम्भिक काल में इसके होने के संकेत मिलते हैं।
- इनकी बोली 'वारली' है, इस बोली की कोई लिपि नही है, अर्थात यह अलिखित भाषा है और इसका संबंध भारत के दक्षिणी क्षेत्र की इंडो-आर्यन भाषाओं से है।

4. अन्य विशेषताएं

- इन भित्तिचित्रों में वृत्त, त्रिकोण तथा वर्ग की भांति एक बहुत ही मौलिक चित्रात्मक शब्दावली का उपयोग किया जाता है।
- इस चित्रकारी को वे मिट्टी से बने अपने कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए करते थे। लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण लोकवार्ताओं (लोक साहित्य) के आम लोगों तक पहुंचाने को यही एकमात्र साधन था।
- वारली आज भी अपने परंपरा से जुड़े हैं लेकिन साथ ही वे नए विचारों को भी ग्रहण कर रहे हैं, जो बाजार की नई चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करते हैं।

02 सिन टैक्स (sin tax)

1. चर्चा का कारण

- भारतीय पेय संघ (आईबीए), जो देश के सबसे बड़े शीतल पेय निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कोका-कोला, पेप्सिको, पारले एग्रो और रेड बुल शामिल हैं, ने जीएसटी परिषद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर इन वस्तुओं को पाप कर (सिन टैक्स) श्रेणी से हटाने को कहा है।

2. क्या होता है सिन टैक्स?

- सिन टैक्स (sin tax) एक प्रकार का उत्पाद कर (excise tax) है जो विशेष रूप से समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है: उदाहरण के लिए-शराब, तम्बाकू, कैंडी, ड्रग्स, शीतल पेय, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ आदि।
- सिन टैक्स (sin tax) को अनिष्ट कर और पाप कर के नामों से भी जाना जाता है।
- अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 'जीएसटी' (GST) में शराब, तंबाकू, कोला (Cola) आदि जैसे समाज के नजरिये से हानिकारक या स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदेह उत्पादों पर सिन टैक्स (sin tax) लगाया जाता है।

3. क्या है जीएसटी?

- जीएसटी(वस्तु एवं सेवा कर), भारत में लागू एक अहम अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।
- इस कर व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग दरों पर लगाए जाने वाले तमाम करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है।
- भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए 101वां संशोधन किया गया था।
- सरकार व कई अर्थशास्त्रियों ने इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है।

4. जीएसटी परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत जीएसटी परिषद (Goods and Services Tax-GST Council) एक मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है, जो कि जीएसटी कानून के अंतर्गत होने वाले कार्यो के संबंध में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए जीएसटी परिषद के गठन की बात कही गयी है।

5. जीएसटी परिषद का गठन व क्रियान्वयन

- जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के लिए एक संयुक्त मंच होता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं -
  - केंद्रीय वित्त मंत्री, (अध्यक्ष)
  - सदस्य के रूप में, राज्य मंत्री (राजस्व)
- प्रत्येक राज्य और दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेशों के वित्त या कराधन के प्रभारी मंत्री या सदस्य के रूप में नामित कोई अन्य मंत्री।
- जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय, बैठक में कुल उपस्थित सदस्यों के 3/4 के बहुमत (75%) से मतदान करने के बाद लिया जाता है।
- बैठक में कुल डाले गये मतों के 1/3 हिस्से का मूल्य केंद्र सरकार के मतों का होता है शेष सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मतों का मूल्य 2/3 माना जाता है।
- जीएसटी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से आधे के साथ बैठकों का कोरम गठित होता है।
- गौरतलब है कि जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

03 सभी के लिए आम मतदाता सूची

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें पंचायत, नगर पालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची होने की संभावना पर चर्चा की गई।

2. हमारे देश में कितने प्रकार के मतदाता सूची है और इनमें अंतर क्यों है?

- कई राज्यों में, पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए मतदाताओं की सूची, संसद और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची से-अलग होती है।
- अंतर इस तथ्य से उपजा है कि हमारे देश में चुनावों की देखरेख और संचालन का जिम्मा दो संवैधानिक प्राधिकारियों-केन्द्रीय चुनाव आयोग (ईसी) और राज्य चुनाव आयोगों (SECs) को दिया जाता है।
- 1950 में गठित, चुनाव आयोग पर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों और संसद, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है।
- दूसरी ओर, एसईसी, नगरपालिका और पंचायत चुनावों की निगरानी करता है। वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपने स्वयं के निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

3. क्या सभी राज्यों में अपने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक अलग मतदाता सूची है?

- राज्य चुनाव आयोग अपने- अपने राज्य अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। कुछ राज्य कानून एसईसी को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग के मतदाता सूची का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- अन्य राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की मतदाता सूची का उपयोग नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए तैयारी और संशोधन के आधार के रूप में करते हैं।
- वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए चुनाव आयोग के सूची को अपनाते हैं।

4. केंद्र सरकार द्वारा एक आम मतदाता सूची पर काम करने का कारण

- आम मतदाता सूची, पिछले साल लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में भाजपा द्वारा किए गए वादों में से एक है।
- यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के साथ-साथ चुनाव कराने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उल्लेख घोषणापत्र में भी किया गया है सरकार ने एक आम मतदाता सूची को चुनावों के दौरान होने वाली एक बड़ी राशि के साथ ही साथ उद्यम के व्यय के बचत के रूप में पेश किया है।
- इसके अलावा एक अलग मतदाता सूची की तैयारी, दो अलग-अलग एजेंसियों के बीच अनिवार्य रूप से एक ही कार्य का दोहराव होता है, जिससे प्रयासों और खर्चों का दोहराव होता है।

6. आगे की राह

- इस संदर्भ में अनुच्छेद 243K और 243 (A) के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, जो निर्वाचक नामावली की तैयारी का निर्देशन और नियंत्रण और स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन की शक्ति, एसईसी को देता है। संशोधन से देश के सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का होना अनिवार्य होगा।
- राज्य सरकारों को भी अपने संबंधित कानूनों को संशोधित करने और नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाने हेतु कदम आगे बढ़ाना होगा।

5. आम मतदाता सूची संबंधित पूर्ववत सिफारिशें

- इससे पहले चुनाव आयोग ने1999 और 2004 में इसी तरह की कोशिश की थी। बाद में विधि आयोग ने भी 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी।
- इसके अलावा संसदीय समिति ने कानून मंत्रालय के मांग एवं अनुदान (2016-17) की रिपोर्ट में चुनाव आयोग एवं राज्य चुनाव आयोगों की ओर से अलग-अलग मतदाता सूचियां बनाने का उल्लेख किया था। इसमें कहा गया था कि मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन अलग-अलग किया जाता है और सूचियों में मतदाताओं की संख्या भी भिन्न रहती है।

04 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme– NCAP) के तहत एक रिपोर्ट जारी की गयी है, जिसमें वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-30% तक कमी लाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. NGT की प्रतिक्रिया

- एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय के इस प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार कर दिया कि एनसीएपी के तहत 20-30% प्रदूषक कमी यथार्थवादी लगती है।
- रिपोर्ट के अनुसार NCAP के तहत, 10 वर्षों में सभी मानदंडों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहले तीन सालों में प्रदूषण के भार में 35% की कमी की जायेगी तथा उसके बाद शेष प्रदूषण को समाप्त किया जायेगा।
  - अर्थात दस वर्षों तक प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी, जोकि जीवन के अधिकार के तहत स्वच्छ वायु से वंचित रहने के लिए काफी लंबी अवधि है।
  - इस संदर्भ में एनजीटी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस अवधि में किस प्रकार के प्रदूषकों को कम किया जाएगा।
- इसके अलावा एनजीटी का मानना है कि एमओईएफ का दृष्टिकोण अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है।
- स्वच्छ वायु के अधिकार को 'जीवन के अधिकार' के एक भाग के रूप में मान्यता दी गयी है, और वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान में विफलता 'जीवन के अधिकार' का उल्लंघन है।

3. डेटा की अपर्याप्तता

- रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या, निगरानी तंत्र प्रवर्तन के लिए है।
- पिछले दो साल में प्रदूषण कितना कम हुआ, इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
- एनजीटी ने कहा कि कई नॉन एटेनमेंट सिटीज (गैर-प्राप्ति वाले शहर) हैं जो लगातार पाँच वर्ष तक PM10 अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards-NAAQS) को पूरा करने में विफल रहते हैं।

4. मंत्रालय की प्रतिक्रिया

- एमओईएफ ने न्यायाधिकरण को बताया कि हवा की गुणवत्ता के स्तर पर तकनीकी और नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, पहचाने गए तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से भविष्य में एक मिडटर्म राष्ट्रव्यापी समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो, तो लक्ष्य को अद्यतन किया जा सकता है।

5. स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme– NCAP)

- यह भारत में वायु-प्रदूषण के संबंध में राष्ट्रीय ढाचें का निर्माण करके, समयबद्ध तरीके से काम करने का सबसे पहला प्रयास है जिसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था।
- हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्यक्रम को Environment Protection Act या किसी अन्य कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है।

6. NCAP का उद्देश्य

- वर्ष 2024 तक वायुमंडल में कम से कम 20% लघु तथा सूक्ष्म कणों की मात्रा को कम करना।
- साथ ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना।
- इसके अलावा वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता का निर्माण करना तथा इसके खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।
- एनसीएपी का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यवहार्य योजना बनाना भी है।

05 ब्रिक्स इनोवेशन बेस

1. चर्चा का कारण

- चीन ने ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए "ब्रिक्स इनोवेशन बेस" (BRICS innovation base) को बनाने का प्रस्ताव रखा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5जी और एआई सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित साथी देशों से आग्रह किया है।
- एलएसी पर भारत के साथ तनाव के कारण देश के भीतर चीन विरोधी माहौल तेजी से मुखर हो रहा है। सरकार के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी चीन की कंपनियों के साथ कारोबार को लेकर सजग हो गई हैं, ऐसे में चीन का ब्रिक्स इनोवेशन बेस का प्रस्ताव भारत को असहज कर सकता है। ब्रिक्स देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो 5जी नेटवर्क को शुरू करने में चीनी भागीदारी का इच्छुक नहीं है।

3. ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया

- रूस ने कहा है कि वह 5G पर चीन के साथ मिलकर काम करेगा।
- दक्षिण अफ्रीका में हुआवे (Huawei) 5G नेटवर्क की स्थापना के लिए तीन दूरसंचार ऑपरेटरों को सेवाएं प्रदान कर रही है।
- ब्राजील ने 5G परीक्षण में भाग लेने की अनुमति तो दी है, किन्तु अभी तक 5G को पूरी तरह से शुरू किये जाने के संदर्भ में ब्राजील ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। गौरतलब है कि ब्राजील के 4 जी नेटवर्क के एक तिहाई से अधिक उपकरण दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी हुआवे (Huawei) का उपयोग करते हैं।

4. भारत का रुख

- भारत द्वारा 5G में चीनी भागीदारी की अनुमति देने की संभावना नहीं है, विदित हो कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था।
- भारतीय खुफिया तंत्र ने भी चीनी सेना के साथ हुआवे सहित कई चीनी कंपनियों के संभावित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध पर चिंता व्यक्त की है।
- जानकारों का मानना है कि हुआवे के उपकरण कहीं से भेजे गए संचार को बाधित करके उन्हें पढ़-सुन (इंटरसेप्ट)भी सकते हैं, हालांकि किसी ने भी अब तक इस आरोप को सही साबित नहीं किया है।
- भारत दरअसल चीन या पश्चिमी देशों के आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े जोखिम को टाल नहीं सकता है क्योंकि वह अपने ज्यादातर दूरसंचार उपकरणों का आयात करता है। हालांकि, भारत इन उपकरणों की जांच के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल और परीक्षण विकसित कर सकता है।

5. आगे की राह

- ब्रिक्स देशों को आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने, संचार को मजबूत करने और कोरोना महामारी की रोकथाम और चिकित्सा आपूर्ति की गारंटी देने व कार्य और उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए सहयोग करना चाहिए।

06 तुर्की – ग्रीस विवाद

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में तुर्की और ग्रीस ने क्रीट द्वीप (ग्रीस के निकट) के पास एक-दूसरे के विरोध में सैन्य अभ्यास किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी भूमध्यसागर में तेल और गैस भंडारों पर दावों को लेकर विवाद है।

2. विवाद का प्रमुख कारण

- जुलाई में तुर्की ने नौसैनिक अलर्ट (नेवटेक्स) जारी किया था कि वह अपने शोध जहाज ओरुक रीस को ग्रीस के द्वीप कास्टेलोरीजो के पास सर्वे करने भेजा था। ये द्वीप दक्षिण-पश्चिम तुर्की के तट से कुछ ही दूर स्थित है। इस सर्वे से पता चला है कि तुर्की साइप्रस और क्रीट के बीच के इलाकों में गैस की खोज कर रहा है। इसके अलावा ग्रीस का दावा है कि तुर्की का जहाज उसके जलक्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है।
- तुर्की और ग्रीस भूमध्य सागर इलाके में कब्जे को लेकर पुराने प्रतिद्वंदी हैं। पूर्वी भूमध्यसागरीय में हाइड्रोकार्बन भंडार की खोज के बाद से ग्रीस और तुर्की ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर पहले भी उलझ चुके हैं। ग्रीस और यूरोपीय संघ का दावा है कि तुर्की इस क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रिलिंग कर रहा है, लेकिन तुर्की का दावा है कि यह क्षेत्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है।
- दोनों देशों के बीच प्रवासियों के ग्रीस में घुसने को लेकर भी विवाद है और फिर तुर्की ने इस्ताबुंल के हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद बना दिया। ये इमारत कई सदियों तक ऑर्थोडॉक्स चर्च रही है। इससे भी ग्रीस को बुरा लगा।
- हाल के सालों में साइप्रस के पास बड़े गैस भंडार मिले हैं। साइप्रस, ग्रीस, इसरायल और मिस्र की सरकारें इनके दोहन के लिए एक साथ आई हैं। समझौते के तहत दो हजार किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए यूरोप तक गैस भेजी जाएगी। पिछले साल तुर्की ने साइप्रस के पश्चिम में तेल और गैस की खोज शुरू की थी। साइप्रस 1974 से बँटा हुआ है। तुर्की के नियंत्रण वाले उत्तरी साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने ही मान्यता दे रखी है। तुर्की हमेशा ये तर्क देता रहा है कि इस द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका भी हक है और इनका बँटवारा होना चाहिए।

3. कानूनी विवाद

- एजियन सागर और पूर्वी भूमध्यसागर में ग्रीस के कई द्वीप ऐसे हैं, जो तुर्की के तट के बिल्कुल पास हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जलक्षेत्र को लेकर जटिल विवाद हैं और कई बार दोनों देश युद्ध के मुहाने तक आ चुके हैं।
- यदि ग्रीस अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने जलक्षेत्र को छह मील से लेकर 12 मील तक बढ़ाता है तो तुर्की का तर्क है कि इससे उसके कई समुद्री रास्ते बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
- विवाद सिर्फ जलक्षेत्रों तक ही नहीं है बल्कि विशेष आर्थिक जोन (ईईजेड) भी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे तुर्की और लीबिया का ईईजेड, मिस्र और ग्रीस का ईईजेड तथा साइप्रस और लेबनान, मिस्र और इसराइल का ईईजेड और अब इस ताजा विवाद में महाद्वीपीय जलसीमा भी शामिल है जो तट से दो सौ मील दूर तक हो सकती है। ग्रीस का तर्क है कि तुर्की का सर्वे जहाज उसकी महाद्वीपीय जलसीमा का उल्लंघन कर रहा है। ग्रीस का द्वीप कास्टेलोरीजो तुर्की के तट से सिर्फ दो किलोमीटर दूर है।

4. वैश्विक प्रतिक्रिया

- फ्रांस ने कहा है कि वह इस क्षेत्र में स्थिति की निगरानी करने और अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए अपने दृढ़ संकल्पित है। ग्रीस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है साथ ही वह सैन्य संगठन नाटो का भी सदस्य है, इस मामले में फ्रांस ग्रीस का साथ देता दिख रहा है।
- ग्रीस के यूरोपीय सहयोगी देशों ने उसका पक्ष लिया है, हालांकि जर्मनी और यूरोपीय यूनियन बातचीत पर जोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त अमरीका ने दोनों ही पक्षों से बात करने के लिए कहा है।

07 भारत के एस्ट्रोसैट की उपलब्धि

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) ने एस्ट्रोसैट (AstroSat) नामक बहुतरंगीय उपग्रह (Multi wavelength Satellite) की मदद से एक आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी (यूवी) किरण का पता लगाया है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है।
- इस खोज के लिए लगी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम की अगुआई भारत कर रहा था। इस टीम में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैण्ड और जापान के वैज्ञानिक शामिल थे।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारत का पहला बहु तरंगदैर्ध्य उपग्रह, एस्ट्रोसैट में पाँच अद्वितीय एक्स-किरण तथा पराबैंगनी दूरबीन अनुबद्ध रूप से कार्यरत हैं तथा उसने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित एयूडीएफएस 01 (AUDFs01) नामक आकाशगंगा से अति तीव्र पराबैंगनी किरण का संसूचन किया है।
- वैज्ञानिकों की टीम ने एस्ट्रोसैट से तीव्र गहन क्षेत्र (Extreme Deep field) में स्थित गैलेक्सी का अवलोकन किया। ये अवलोकन अक्टूबर 2016 में 28 घटों से कुछ ज्यादा समय के लिए किए गए थे, लेकिन इन आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन करने में लगभग दो साल का समय लग गया।
- इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आने से पहले ही ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए इस शोध के लिए अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ी।
- इससे पहले नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) भी इन पराबैंगनी विकरण को पकड़ नहीं पाया था, जो कि एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT) से भी बड़ा टेलीस्कोप है। इस पराबैंगनी किरणों का ऊर्जा उत्सर्जन अधिक था। इसकी ऊर्जा 13.6 eV से भी ज्यादा थी, लेकिन दूरी की वजह से यह एक बहुत ही धुंधली दिखाई दी।
- एस्ट्रोसैट या UVIT इन विकरणों को पकड़ने में सफल हो सका क्योंकि UVIT डिटेक्टर की पृष्ठभूमि की आवाज हबल टेलीस्कोप की पृष्ठभूमि की आवाज से काफी कम थी।

3. वैज्ञानिकों के अनुसार महत्वपूर्ण है यह शोध

- वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ छोटी आकाश गंगाएं मिल्की वे आकाशगंगा की तुलना में 10-100 गुणा अधिक गति से नए तारों का निर्माण करती हैं। गौरतलब है कि ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं में बड़ी संख्या में ऐसी छोटी आकाशगंगाएं हैं जिनका द्रव्यमान मिल्की वे आकाशगंगाओं की तुलना 100 गुणा कम है।
- दो भारतीय दूरबीनों के जरिए वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि इन आकाशगंगाओं के इस विचित्र व्यवहार की वजह उनमें अव्यवस्थित हाइड्रोजन का वितरण और आकाशगंगाओं के बीच की टक्कर है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन किसी भी तारे के निर्माण के लिए जरूरी तत्व है। बड़ी संख्या में तारों के निर्माण के लिए आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन के उच्च घनत्व की जररूत होती है।

4. एस्ट्रोसैट क्या है?

- एस्ट्रोसैट भारत की बहु तरंगदैर्ध्य दूरबीन (India's multi- wavelength space telescope) है। यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करता है। इसे 2015 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्यारव्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 वारली चित्रकला

प्र. वारली चित्रकला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वारली चित्रकला के संदर्भ में महाराष्ट्र की एक जनजाति बारली द्वारा बनाई जाती है।
2. वारली चित्रकारी के चित्र भीमबेटका की शैली गुफाओं के चित्र के समान हैं।
3. वर्ष 1970 के प्रारंभ में पहली बार वारली कला के बारे में पता चला था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है, जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। इस चित्रकारी के चित्र भीमबेटका की शैली गुफाओं के चित्र के समान हैं। वर्ष 1970 के प्रारंभ में पहली बार वारली कला के बारे में पता चला था। इस तरह तीनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

02 सिन टैक्स

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सिन टैक्स एक प्रकार का उत्पाद कर है।
2. सिन टैक्स को अनिष्ट कर या पाप कर के नामों से भी जाना जाता है।
3. जीएसटी (GST) को 1 जुलाई 2016 को लागू किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः सिन टैक्स एक प्रकार का उत्पाद कर है, जो विशेष रूप से समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगया जाता है। सिन टैक्स को अनिष्ट कर या पाप कर के नाम से भी जाना जाता है। जीएसटी (GST) को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

03 सभी के लिए आम मतदाता सूची

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के चुनाव आयोग का गठन वर्ष 1961 में किया गया था।
2. केन्द्रीय चुनाव आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव को भी संपन्न कराता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः भारत के चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 (न कि 1961) में हुआ था। भारत का चुनाव आयोग अर्थात केन्द्रीय चुनाव आयोग लोकसभा, राजसभा, राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद के चुनावों को संपन्न कराता है। इस तरह दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

प्र. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-30% तक कमी का लक्ष्य रखा गया है।
2. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।

3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यवहार योजना तैयार करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (a)

व्याख्याः राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को वर्ष 2019 (न कि 2018) में शुरू किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-30% तक कमी का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के लिए एक व्यवहार योजना तैयार करना है।

05 ब्रिक्स इनोवेशन बेस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमेरिका ने ब्रिक्स देशों के बीच 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाने का प्रस्ताव रखा है।
2. ब्रिक्स देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जो चीन के 5G नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल होने से इंकार किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्याः चीन ने ब्रिक्स देशों के बीच 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स इनोवेशन बेस बनाने का प्रस्ताव रखा है। विदित हो कि ब्रिक्स देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जो चीन के 5G नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल होने से इंकार कर दिया है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

06 तुर्की - ग्रीस विवाद

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. तुर्की और ग्रीस के बीच अटलांटिक सागर को लेकर वर्षों से विवाद रहा है।
2. साइप्रस का विभाजन वर्ष 1974 में हुआ था।
3. कास्टेलोरीजो द्वीप हिन्द महासागर में अवस्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः तुर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर को लेकर वर्षों से विवाद रहा है। सन् 1974 में साइप्रस का विभाजन हुआ था। कास्टेलोरीजो द्वीप भूमध्य सागर में अवस्थित है। इस तरह कथन 1 और 3 गलत है, अतः उत्तर (d) होगा।

07 भारत के एस्ट्रोसैट की उपलब्धि

प्र. एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एस्ट्रोसैट भारत की बहुतरंगदैर्ध्य दूरबीन है।
2. एस्ट्रोसैट को वर्ष 2010 में इसरों द्वारा लॉन्च किया गया था।
3. हाइड्रोजन किसी भी तारे के निर्माण के लिए जरूरी तत्त्व है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः एस्ट्रोसैट भारत की बहु तरगदैर्ध्य दूरबीन है। यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन ब्रह्माण्ड को अधिक विस्तृत रूप समझने का प्रयास करता है। इसे वर्ष 2015 (न कि 2010) में इसरों द्वारा लॉन्च किया गया था। इस तरह कथन 2 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 चंद्रयान-3 परियोजना

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख ने पुष्टि की है कि चंद्रमा के लिए इसरो 'चंद्रयान-3 परियोजना' पर काम कर रहा है और इसे 2021 तक प्रक्षेपित किया जा सकता है।

चंद्रयान-3

- चंद्रयान-2 के विपरित चंद्रयान-3 में 'ऑर्बिटर' नहीं होगा, लेकिन इसमें एक 'लैंडर' और एक रोवर होगा।
- चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 का ही पुन: अभियान होगा।
- हालांकि, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया और चंद्रयान-3 जैसे अभियान में देर हुई।
- चंद्रयान-2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2020 के अंत तक एक अन्य अभियान (चंद्रयान-3) को लांच करने की योजना बनाई थी लेकिन कोरोना के चलते अब यह अभियान 2021 में लांच किया जाएगा।

चंद्रयान-2

- चंद्रयान-2 को 22 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपित किया गया था।
- इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना थी। लेकिन लैंडर विक्रम ने सात सितंबर को हार्ड लैंडिंग की और अपने प्रथम प्रयास में ही पृथ्वी के उपग्रह की सतह को छूने का भारत का सपना टूट गया था।
- हालांकि चंद्रयान-2 अभियान के तहत भेजा गया आर्बिटर अच्छा काम कर रहा है और जानकारी भेज रहा है।

चंद्रयान-1

- चंद्रयान-1 को वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था।
- हाल ही में 'चंद्रयान-1' अभियान ने कुछ चित्र भेजे हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग सा लगता दिख रहा है।
- नासा (NASA) के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-1 के द्वारा भेजी गयी तस्वीरों के आधार पर कहा है कि ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की भी रक्षा कर रहा हो।
- चंद्रयान-1 के द्वारा भेजे गए आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी हो सकता है।

02 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' (Kra Canal Project)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में थाईलैंड सरकार ने चीन के साथ हुआ 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' (Kra Canal project) रद्द कर दिया है।

प्रमुख बिन्दु

- कुछ दिन पूर्व थाईलैंड सरकार ने चीन से पनडुब्बी सौदा भी टाल दिया था।
- थाईलैंड ने चीन के क्रा कनाल (Kra Canal) प्रॉजेक्ट को कैंसल कर दिया है जिससे उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रास्ता मिलना अब मुश्किल हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने यहीं पर अपने जहाज तैनात कर दिए थे।

क्रा कैनाल प्रोजेक्ट

- 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट', दक्षिणी थाईलैंड में उपस्थित 'क्रा स्थलडमरूमध्य' (Kra Isthmus) को गहरा करके परिवहन हेतु सुगम बनाना था।
- वर्ष 2015 में इसके लिए थाईलैंड व चीन सरकार ने समझौता किया था। इसे 102

किलोमीटर लंबी व 400 मीटर चौड़ी बनाना था।

- 'क्रा स्थलडमरूमध्य', अंडमान सागर के साथ थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है।

थाईलैंड सरकार का पक्ष

- शुरुआत में 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' को थाईलैंड सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया गया था, लेकिन अब थाईलैंड को लगता है कि इस परियोजना से उसे कोई लाभ नहीं है।
- थाईलैंड की योजना पनामा नहर की तरह यहां एक नहर बनाने की थी, जो दक्षिण चीन सागर को सीधे हिंद महासागर से जोड़ती। लेकिन अब वह जान चुकी है कि मलक्का, सुंडा या लोम्बोक स्ट्रेट के जरिये क्रा कैनाल ज्यादा राजस्व पैदा नहीं होगा।

'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' का चीन के लिए महत्व

- चीन किसी भी कीमत पर इस 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' को पूरा होते देखना चाहता था, क्योंकि इससे हिंद महासागर तक उसकी पहुंच आसान हो जाती।

- चीन की नौसेना को 'क्रा कैनाल' से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच बने बेस के बीच से गुजरने में मदद मिलती। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 102 किलोमीटर लंबी 'क्रा कैनाल या नहर' के अस्तित्व में आने के बाद चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने नवनिर्मित ठिकानों तक आसानी से पहुंच सकता। अभी उसे इसके लिए 1,100 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।
- मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, क्रा प्रोजेक्ट से चीन का इरादा स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बायपास करते हुए दक्षिण चीन सागर पर एकाधिकार जमाने का रहा है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे कोई चुनौती नहीं दे पाए। लेकिन थाई सरकार ने इस परियोजना से हाथ पीछे खींचने का मन बनाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

अन्य देशों पर प्रभाव

- अगर 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' पूरा होता तो थाईलैंड के भारत और अमेरिका समेत कई देशों से रिश्तेखराब हो सकते थे।
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान सहित लगभग सभी देश चाहते हैं कि यहाँ नौवहन स्वतंत्र व अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हो न कि किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित हो।
- 'क्रा कैनाल प्रोजेक्ट' म्यांमार और कंबोडिया जैसे गरीब दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की स्वतंत्रता के नुकसानदायक हो सकता था, जो चीन के दखल से पहले से ही परेशान हैं।

03 नीले आसमान हेतु अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस

चर्चा में क्यों

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्री संघ (यूएनओ) के आह्वान पर 7 सितंबर, 2020 को पहला 'नीले आसमान हेतु पहले अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' (International Day of Clean Air for blue skies) मनाया गया।

'नीले आसमान हेतु पहले अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस'

- 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 से हर साल 7 सितंबर को 'नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' मनाने का एक मसौदा स्वीकार किया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर, 2019 को अपने 74 वें सत्र के दौरान 'नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस मनाए जाने का आवाह्न किया था।
- 'नीले आसमान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस' को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉर्पोरेट, सरकार आदि सभी स्तरों के साथ-साथ आमजन में भी स्वच्छ वायु व पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना है।

भारत सरकार का पक्ष

- सरकार 122 सबसे प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वायु प्रदूषण की समस्या को रेखांकित करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2014 में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुरू किया था और आज मंत्रालय आठ मानकों पर वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रख रहा है।
- स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वायु प्रदूषण के मुद्दे का जिक्र करते हुए भारत के 100 शहरों में वायु गुणवत्ता में समग्र सुधार के लक्ष्य को रेखांकित किया था।
- जनवरी, 2019 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की थी, जिसमें वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदूषणकारी कणों पीएम 10 और पीएम 2.5 के अनुपात को 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 शहरों की पहचान हुई थी। वायु गुणवत्ता पर नवीनतम डेटा ट्रेंड के आधार पर 20 और शहरों को एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है।

- भारत में अब बीएस-VI मानकों को अपनाया गया है और गुणवत्ता वाले पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराए गए हैं, जो प्रदूषण से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
- पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सड़कों और राजमार्गों का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है और इसके कारण पिछले समय की तुलना में प्रदूषण कम हो रहा है।

सुझाव

- राज्यों को अब शहर केंद्रित योजनाओं के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हर शहर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोत हैं।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न राज्यों में ईंट भट्ठों को उनमें से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जिग-जैग तकनीक अपनानी चाहिए।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कहना है कि हवा को स्वच्छ करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है। कार-पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ◼◼◼

04 पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसटीएस)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में 8 सितंबर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) द्वारा आभासी मंच (virtual platform) पर पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (World Solar Technology Summit-WSTS) आयोजित किया गया।

प्रमुख बिन्दु

- 149 देशों के 26000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु पंजीकरण कराया।
- इस सम्मेदलन में सौर ऊर्जा में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की नवाचार स्थिति के बारे में प्रदर्शन और विचार-विमर्श के द्वारा सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पोदन में तेजी लाने के बारे में चर्चा की गयी तथा विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
- अनेक आईएसए सदस्य देशों के मंत्री उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति, नेशनल फोकल पॉइंट्स और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि, आईएसए भागीदार, व्यापार और उद्योग के दिग्गिज, सौर परियोजना डेवलपर्स, सौर विनिर्माता, रिचर्स अनुसंधान और विकास संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और थिंक टैंक, सिविल सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और डोनर्स, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेदलन में भाग लिया।

प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में

- सौर फोटो वाल्विक क्रांति में सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। आईएस को हर घर में बिजली पहुंचाने के अपने सपने को पूरा करने के लिये नव प्रवर्तनशील और सस्ती प्रौद्योगिकी की जरूरत है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन इस दिशा में उठाया गया कदम है।
- 08 सितंबर, 2020 को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में आईएसए का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ अगली पीढ़ी की तकनीक को सामने लाना है जो सौर ऊर्जा के अधिक कुशलता से उपयोग की दिशा में प्रयासों को गति देगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

- अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन , एक ऐसा गठबंधन है जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा की भागीदारी को बढ़ाना है तथा साथ ही हरित ऊर्जा के उद्देश्य को प्राप्त करना है।
- इस संगठन में 122 से भी ज्यादा देश सम्मिलित हैं। हाल में हुए संशोधन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इस संगठन के सदस्य हो सकते है।
- इस संगठन को बनाने का मुख्य श्रेय भारत व फ्रांस को जाता है।
- इस संगठन में मुख्यत: Sunshine देश ही सदस्य है Sunshine देश वे देश है जो प्राकृतिक रूप से लगभग साल भर सूर्य का प्रकाश ग्रहण करतें है जिनमें से Tropical Region यानि विषुवतीय प्रदेश के देश मुख्य हैं।
- इस संगठन का मुख्यालय भारत के गुरूग्राम शहर में स्थित है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने ISA के सदस्य देशों को सूर्यपुत्र की संज्ञा दी है। ◼◼◼

05 राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 9 राज्यों (मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र) के 22 बांस क्लस्टरों की शुरूआत की है।
- इसके साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के लोगो का भी विमोचन किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- बांस, ग्रामीण भारत के किसान और उद्योग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है।
- देश में एक बड़ा रकबा ऐसा है जहां फसलों की खेती नहीं हो सकती लेकिन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। मेढ़ पर भी बांस उगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।
- देश में एक बड़ा रकबा ऐसा है जहां फसलों की खेती नहीं हो सकती लेकिन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। मेढ़ पर भी बांस उगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।

भारतीय वन अधिनियम,1972 में संशोधन

- बांस के महत्वह को देखते हुए सरकार ने 'पेड़' (tree) की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम,1972 का वर्ष 2017 में संशोधन किया, जिससे किसानों को बांस व बांस आधारित उत्पादों की सुगम आवाजाही में सहायता हुई हैं। आज सभी

लोग बांस की खेती और व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है।
- ध्यान दें कि ऐसा सिर्फ निजी जमीन के लिए किया गया है, फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर जो बांस लगे हैं उनपर वन कानून पहले की तरह ही लागू है।

एनबीएम का लोगो (logo)

- लोगों (logo) में बांस की छवि भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस की खेती को चित्रित करती है।
- लोगो के चारों ओर औद्योगिक पहिया बांस क्षेत्र के औद्योगीकरण के महत्व को दर्शाता है। लोगो में सुनहरे पीले व हरे रंग का संयोजन दर्शाता है कि बांस श्हरा सोनाश है। आधा औद्योगिक पहिया और आधा किसान सर्कल किसानों और उद्योग दोनों के लिए बांस के महत्व को दर्शाता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

- राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) को 2006-07 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2108 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (restructured National Bamboo Mission) के रूप में 14 वें वित्त आयोग के अंत तक (अर्थात 2019-2020) के लिए मंजूरी प्रदान की गयी।
- यह मिशन क्षेत्र आधारित, क्षेत्रीय रूप से विभेदित रणनीति को अपनाकर और बांस की खेती और विपणन के तहत क्षेत्र में वृद्धि करके बांस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है।
- देश में बांस मिशन सफल हो रहा है, भारत अब बांस के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगा।
- आयात नीति में भी परिवर्तन के साथ ही बांस मिशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तेजी से काम कर रही है, जिससे यह व्यवसाय बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के लक्ष्य

- बांस की खेती में विकास करना
- जहां पर बांस की खेती की जा सकती है, वहां पर बांस की खेती को और बढ़ाना
- बांस से बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग करना और उनको प्रोमोट करना
- बांस के विकास के लिए स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल स्थापित करना
- बांस की खेती के जरिए स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों में रोजगार के मौके पैदा करना, जिसमें से मुख्यता बेरोजगारों पर जोर दिया जाएगा

06 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कार्य योजना

चर्चा में क्यों

- हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं की 'कार्य योजना 2020-21' जारी की है।

परिचय

- हाल ही में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं की 33 कार्य योजनाओं वाली एक पुस्तक जारी की।
- यह पुस्तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सभी योजनाओं के लिए 33 वार्षिक कार्य योजनाओं का एक संग्रह है।
- यह पहली बार हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने प्रत्येक योजना

की एक व्यीपक 'कार्य योजना 2020-21' निर्धारित की है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य केन्द्रीय मंत्रालय और भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्रयोजन निर्धारित करना है।
- इसे अनुसूचित जातियों, अन्यन पिछड़े वर्गों, वरिष्ठक नागरिकों, नशीली दवाओं के शिकार व्यक्तियों, ट्रांसजेंडरों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों से संबंधित व्यक्तिों के आर्थिक, शैक्षिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तैयार किया गया है।
- भारत सरकार समावेशी समाज के निर्माण के विजन को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत गरीब और हाशिए पर मौजूद समूहों के सदस्योंव को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और पुनर्वास संबंधी कार्यों के द्वारा सशक्तो बनाया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाएँ

- अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्क कोचिंग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रींय फेलोशिप और अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा :
- अनुसूचित जातियों के लिए उच्चय श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों व अन्यय पिछड़े वर्गों के लिए नि:शुल्को कोचिंग योजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के लिए सहायता की पात्रता हेतु आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष तक संशोधित कर दिया गया है।
- नि:शुल्कत कोचिंग योजना के तहत छात्र अपनी पसंद के संस्थानन में कोचिंग करने के लिए सहायता प्राप्तप कर सकते हैं।
- शीर्ष श्रेणी की शिक्षा योजना के तहत सीटों की संख्यां बढ़ाई गयी है। आईआईटी/एनआईटी/शीर्ष एनआईआरएफ जैसे शीर्ष संस्थानों को रैंक प्राप्तग संस्थाहनों में शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:

- समेकित विकास के लिए अनुसूचित जातियों की अधिसंख्या वाले 3584 गांवों को इस योजना के तहत लिया गया है। इससे ऐसे गांवों की कुल संख्या 13199 हो गई है।

नशीले दवाओं की मांग घटाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:

- नशा मुक्त भारत अभियान नशीली दवाओं के उपयोग से सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों में शुरू किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था और यह 31 मार्च, 2021 तक जारी रहेगा।

भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम:

- भीख मांगने के काम में लगे लोगों के व्या पक पुनर्वास की एक परियोजना मंत्रालय ने चलाई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:

- इस वर्ष कम-से-कम एक वरिष्ठ नागरिक गृह हर जिले में सुनिश्चित किया जाएगा।
- वरिष्ठष नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्प लाइन की स्था पना का प्रस्ताहव सक्रिय रूप से विचाराधीन है और यह इस वर्ष के दौरान कार्य करने लगेगी।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी):

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निगम है।
- यंत्रीकृत सफाई को बढ़ावा देने और हाथ से जोखिम वाली साफ-सफाई की घटनाओं को कम करने एवं स्वतच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत यंत्रीकृत सफाई उपकरण की खरीददारी और परिचालन के लिए इसके लक्षित समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्धा कराने के उद्देश्य से इस नई योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 5 लाख मूल्य तक के उपकरण के लिए 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान है।
- नागरिक अधिकार अधिनियम (पीसीआर), 1955 और अत्याचार रोकथाम अधिनियम (पीओए), 1989 के संरक्षण को लागू करने के लिए सरकारी मशीनरी को मजबूत बनाना:
- अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के खिलाफ पीसीआर अधिनियम 1955 और पीओए अधिनियम 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता पैदा करने के लिए वेब आधारित स्व-सेवा पोर्टल के साथ एक राष्ट्रीचय हेल्पलाइन स्थापित करना।

अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप :

- वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अतिरिक्त 10 लाख छात्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।

- योजना के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक केन्द्री य डेटाबेस विकसित किया जाएगा।

अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:

- केन्द्रे से धन को सहज रूप से जारी करने के लिए राज्य कार्य योजना को जरूरी बनाया गया है।
- लाभार्थियों की संख्या 35 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विश्वास (VISVAS) :

- 'वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (विश्वा्स योजना)', अनुसूचित जातियों और 3 लाख प्रति वर्ष तक की वार्षिक आय वाले अन्यि पिछड़ा वर्ग स्व यं सहायता समूहों/व्यसक्तिगत सदस्यों के लाभ के लिए है।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्यो पिछड़ा वर्ग स्वयं सहायता समूह और व्यहक्ति बैंक ऋणों पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकेंगे। विश्वास योजना, सामाजिक न्यायय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) और राष्ट्रीलय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा लागू की जाएगी।
- इस योजना से अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच बढ़ाने और महामारी के इन दिनों में ब्याज का भार कम करने में मदद मिलेगी।

07 डोरस्टेप बैंकिंग और ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का उद्घाटन किया और ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित लिया।

डोरस्टेप बैंकिंग सेवा (Doorstep Banking Service)

- भारत में बैंकों तक देश के हर नागरिक की पहुंच सुनिश्चित हो सके , इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं; इस कड़ी में अब सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सेवा (Doorstep Banking Service) शुरू की गई है।
- डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के द्वारा ग्राहक घर बैठे अपने बैंक खाते में पैसा जमा करना, पैसा निकालना, चौक जमा करना या इससे जुड़े अन्य काम (Banking Services) आसानी से कर सकते हैं। इन उपयोगी सेवाओं के लिए बैंक खुद चलकर ग्राहकों के घर तक जाता है।

- डोरस्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ वर्ष पूर्व की थी।
- पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एक साथ मिलकर एक कॉमन सर्विस प्रोवाइडर रखा, जो उनके ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचा सके।
- डोरस्टेप बैंकिंग सेवा के तहत बैंक ग्राहकों को घर बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी नॉन फाइनेशियल सर्विस के साथ पैसों के लेन-देन से जुड़ी सेवा भी मुहैया कराएंगे।

ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक (EASE Banking Reforms Index)

- ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक का उद्देश्य सरकारी बैंकों में स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।
- इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 तुर्की और ग्रीस के बीच उत्पन्न विवाद भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन के बदलते स्वरूप का परिणाम है। टिप्पणी करें।

02 हाल ही में सभी के लिए आम मतदाता सूची पर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव सुधारों के संदर्भ में इस पर विस्तार से चर्चा करें।

03 प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? यह योजना एक गरीब परिवार को किस प्रकार प्रभावित किया है? उल्लेख करें।

04 सरकार द्वारा तमाम आर्थिक सुधारों के वावजूद भी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस सूचकांक में भारत की निम्न स्थिति के कारणों पर चर्चा करें।

05 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? यह योजना मत्स्य उद्योग के विकास में किस प्रकार सहायक होगी? विवरण दें।

06 नैतिकता सिर्फ आम आदमी में ही नहीं बल्कि सैनिकों का भी एक मूलभूत गुण होना चाहिए। इससे आप कितना सहमत है? अपने पक्ष में तर्क दें।

07 राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी क्या है? यह नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में कहाँ तक सक्षम है? चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

04

06

01 EASE 2.0 इंडेक्स के अनुसार किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 'टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स' श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है?

बैंक ऑफ बड़ौदा

02 किस देश ने फर्जी सूचनाओं से बचने के लिए 'असोल चीनी' या ' रियल-शुगर' नाम से एक अभियान शुरू किया है?

बांग्लादेश

03 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर को 'राष्ट्रीय वन शहीद दिवस' के रूप में घोषित किया गया ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

04 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

05 'स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग' (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems) के दूसरे संस्करण के अनुसार, कौन सा राज्य X श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है?

गुजरात

06 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार-2019' से किसे सम्मानित किया गया है?

डेविड एटनबरो

07 किस राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'खुले में शौच से मुक्त' प्रमाणित किया गया है?

हरियाणा

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 मनुष्य का व्यवहार तीन चीजों से बनता है -चाहत, भावनाएं और जानकारी।

प्लेटो

02 किसी भी मिशन की सफलता के लिए, रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है।

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम

03 ईश्वर ने संसार को कर्म प्रधान बना रखा है, इसमें जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको, वैसा ही फल प्राप्त होता है।

गोस्वामी तुलसीदास

04 अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है।

अरस्तु

05 मेरा धर्म देश की सेवा करना है।

भगत सिंह

06 शिक्षा वो है जो स्कूल में सिखाई गयी चीजों को भूल जाने के बाद बचती है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

07 अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो तो उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित कीजिये।

जवाहर लाल नेहरू

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

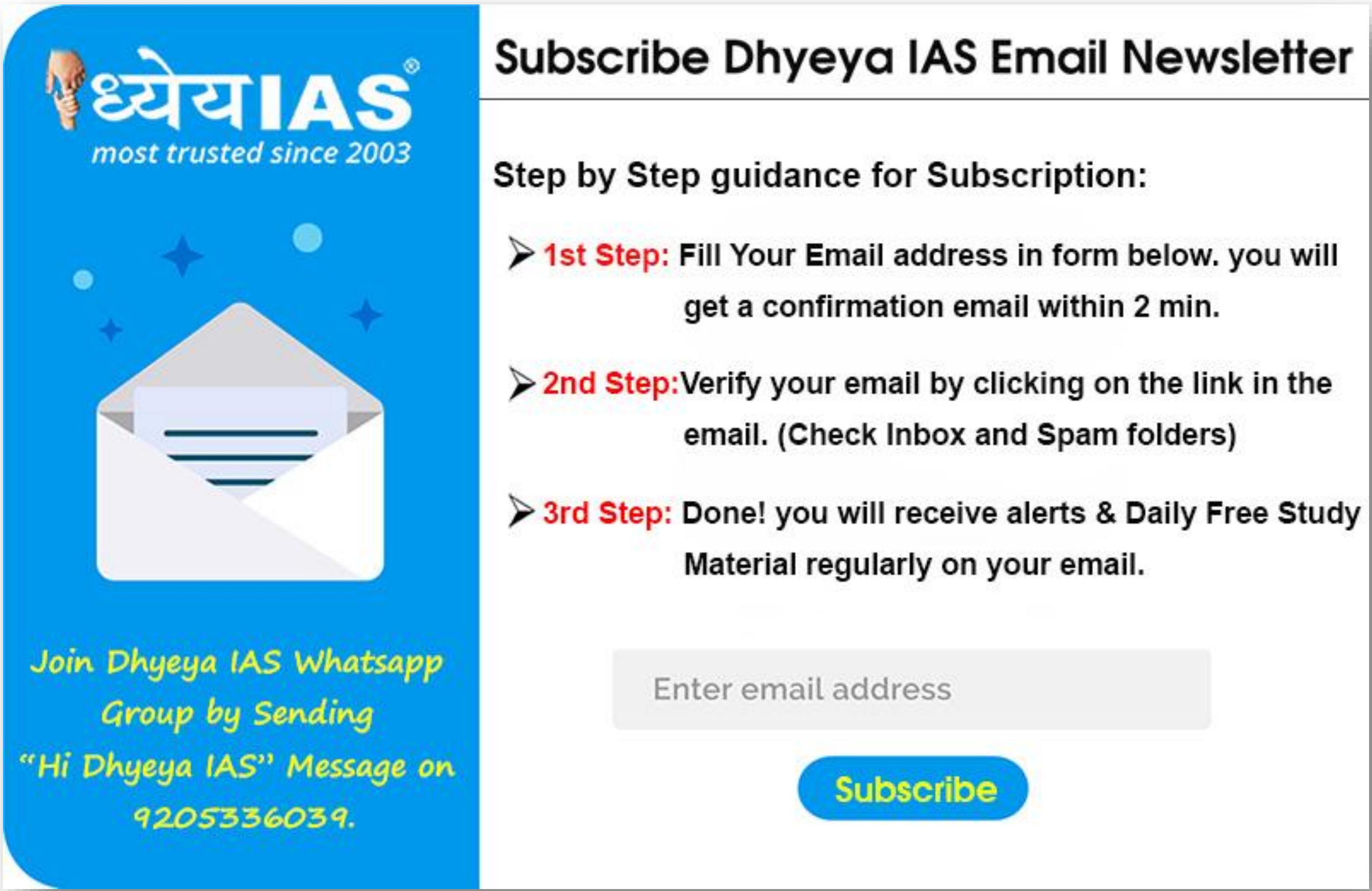

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com